हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

16 मार्च, 2010

खण्ड 1, अंक 8

अधिकृत विवरण

Haryana Vidhan Sabha Sectt.
LIBRARY
Chandigarh

विषय सूची

मंगलवार, 16 मार्च, 2010

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(8)1
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(8)25
ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं	(8)31
श्री ओम प्रकाश चौटाला, एम०एल०ए० के विरुद्ध अभिकथित विशेषाधिकार भंग का प्रश्न	(8)32
वाक आउट	(8)35
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(8)35
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(8)36
सदन की मेज पर रखे गए कागज-पत्र	(8)36
समितियों की रिपोर्ट्ज प्रस्तुत करना	(8)38
(i) पब्लिक अकाउंटस कमेटी की 64वीं रिपोर्ट	
(ii) पब्लिक अंडरटेकिंग्ज़ कमेटी की 56वीं रिपोर्ट	
(iii) वैल्फेयर ऑफ शिडयूल्ड कॉस्टस, शिडयूल्ड ट्राईब्ज एंड बैकवर्ड क्लासिज कमेटी की 33वीं रिपोर्ट	
(iv) गवर्नमैंट एश्योरैंसिज कमेटी की 39वीं रिपोर्ट	

मूल्य :

विधान कार्य– (8)39

(i) दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 1) बिल, 2010

(ii) दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 2) बिल, 2010

(iii) दि इस्ट पंजाब वार अवार्ड (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2010

(iv) दि पंजाब शिडयूल्ड रोड्ज एंड कंट्रोल्ड एरियाज़ रिस्ट्रिक्शन आफ अनरैगुलेटेड डिवैल्पमैंट (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2010

(v) दि हरियाणा फिस्कल रिसपौंसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमैंट (अमैंडमैंट) बिल, 2010

(vi) दि हरियाणा स्पेशल इकनोमिक जोन (अमैंडमैंट) बिल, 2010

वाक आउट (8)61

(vi) दि हरियाणा स्पेशल इकनोमिक जोन (अमैंडमैंट) बिल, 2010 (पुनरारम्भण)

(vii) दि हरियाणा वैल्यू ऐडिड टैक्स (अमैंडमैंट) बिल, 2010

वाक आउट (8)65

(vii) दि हरियाणा वैल्यू ऐडिड टैक्स (अमैंडमैंट) बिल, 2010 (पुनरारम्भण)

(viii) दि हरियाणा दोहलीदार, बुटीमार, भौंडेदार, एंड मुकररीदार (वैस्टिंग ऑफ प्रोपराइटरी राईट्स) बिल, 2010

(ix) दि हरियाणा प्राईवेट यूनिवर्सिटीस (अमैंडमैंट) बिल, 2010

(x) लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटेनरी एंड एनीमल साईंस हिसार बिल, 2010

(xi) दि हरियाणा इवक्यू प्रोपर्टीज (मैनेजमैंट एंड डिसपोजल) अमैंडमैंट बिल, 2010

सरकारी संकल्प (8)78

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 16 मार्च, 2010

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में सुबह 10.00 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now, the question hour starts.

Opening of Medical College

***131. Smt. Sumita Singh :** Will the Health Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Medical College, at Karnal ; if so, the details thereof ?

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail) : Yes, Sir. A medical college is being set up in the memory of Kalpana Chawla. Steps are being taken to work out the details of the Project.

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, करनाल में जो कल्पना चावला नाम के मैडीकल कालेज की अनाउंसमैंट की गई है उसके लिए मैं मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगी। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा है कि 'Steps are being taken to work out the details of the project'. I want to know how long time it will take to work out the details of the Project ?

Smt. Geeta Bhukkal Matanhail : Speaker Sir, I would like to tell my Hon'ble Member that health services and medical education has been the priority of our Government. A Medical College is being set up by the State Government at Karnal in the memory of Kalpana Chawla, the astronaut, who made India proud. Kalpana Chawla was not only the daughter of Karnal or Haryana but also she was the proud of whole India. The Hon'ble Prime Minister, on his visit to Panipat on 5.4.2006, made an announcement that the Government will explore the possibility of establishing a Medical College in the memory of Kalpana Chawla at Karnal. Since 2006, the matter was under correspondence for seeking financial grant from Government of India and NASA. However, Government of India stated that there was no scheme under which a Medical College could be established. The Chief Minister, Haryana announced in Jhajjar for the establishment of a Medical College at Karnal on 26th January, 2010 on the eve of Republic Day. At present, Karnal has a 200-bedded hospital which will be upgraded into 300-bedded hospital with

[श्रीमती गीता भुक्कल, मातनहेल]
teaching block for the Medical College. This District Hospital is located in 18.05 acres of land in which the building of the 200-bedded hospital, residences and a few offices have been provided. As per the requirements of Medical Council of India (MCI), 20 acres of land are required for setting up a Medical College. There is availability of land adjacent to the hospital which belongs to the Home Department and being used as Police Lines and the Jail. The land belonging to the Police lines, which is 20 acres, 5 kanals and 4 marlas, will be transferred to Health department for construction of the Medical College, as it is adjacent to the hospital and will provide ample area for development of the Medical College. The Home Department has been asked to take immediate steps to transfer the land to Health Department. The construction and other activities for setting up the Medical College at Karnal are being entrusted to the National Buildings Construction Corporation Ltd. (NBCC). The approach road to the Hospital from the old GT road will be widened and strengthened. Mr. Speaker Sir, the National Building Construction Corporation Ltd. (NBCC) was requested to make an estimate for construction cost of Teaching Block, additional hospital building and an administrative block along with a hostel building. According to the latest figure of NBCC, the rough cost estimates for the Medical College of 50 seats will be about Rs. 200 crores in phase 1. In the phase-1, it is proposed to construct the Administrative block, teaching block and hostel for boys and girls of the Medical College and upgrade the hospital. We have already sent the proposal to Finance Department for making provision of funds in the year 2010-11.

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, कैथल में मल्टी स्पैशलिटी होस्पिटल बन रहा है इसके लिए मैं पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर का और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभारी हूँ। जो पुराना होस्पिटल है उसकी बिल्डिंग बहुत अच्छी है, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या उस बिल्डिंग में नर्सिंग का कालेज या कोई और ट्रेनिंग कालेज खोलने का कोई प्रस्ताव है?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कैथल होस्पिटल के बारे में पूछा है। मैं उनको बताना चाहूंगी कि मल्टी स्पैशलिटी होस्पिटल का कार्य बहुत स्पीड से चल रहा है और जो पुरानी बिल्डिंग कैथल के जनरल होस्पिटल की है वह वाकई में अच्छी कंडीशन में है और उसमें नर्सिंग कालेज चलाने की अभी कोई भी प्रपोजल सरकार के विचाराधीन नहीं है लेकिन उस बिल्डिंग को जरूरी मैडीकल सर्विसिज के लिए इस्तेमाल करेंगे।

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य और सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि कैथल में पुराना होस्पिटल भी चालू रहेगा। Now, two hospitals will serve the district. माननीय सदस्य का हल्का भी वहीं लगता है इसलिए वहां पर दो अस्पतालों की जरूरत भी है।

Number of Seats Available for Students

***9. Sh. Ram Pal Majra :** Will the Technical Education & Industrial Training Minister be pleased to state the number of Engineering Colleges, Polytechnical Colleges and Institute of M.B.A., M.C.A. and B. Pharmacy in the State togetherwith the number of seats available for the students in different courses?

PWD (B&R) Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala) : Sir, the information is placed on the Table of the House. The statement of number of Engineering Colleges, Polytechnic Colleges, and Institute of M.B.A., M.C.A. and B. Pharmacy in the State togetherwith the number of seats available for the students in different courses is annexed.

Annexure

Sr. No.	Institution	Number	Seats	Course	Intake
1.	Engineering Colleges	141	44705	Agriculture Engg.	45
				Electronics & Communication Engg.	11940
				Information Technology	6390
				Computer Science & Engg.	12030
				Mechanical Engg.	8780
				Civil Engg.	1920
				Bio-Tech.	210
				Bio-Medical	180
				Electrical Engg.	1380
				Electronics & Instrumentation Engg.	60
				Food Engg.	120
				Packaging Technology	60
				Printing Technology	90
				Printing Graphics & Packaging	30
				Instrumentation Engg.	180
				Chemical Engg.	120
				Electrical & Electronics Engg.	1080

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

Sr. No.	Institution	Number	Seats	Course	Intake
				Fashion Technology	60
				Fashion & Apparel Engg.	30
				Total	**44705**
2	Polytechnic Colleges	151	49875	Agriculture Engg.	120
				Applied Art & Craft	120
				Architecture	280
				Automobile Engg.	1000
				Ceramic Engg.	240
				Chemical Engg.	140
				Chemical Pulp & Paper Engg.	60
				Civil Engg.	7470
				Computer Engg.	8590
				Electrical Engg.	6160
				Electronics Engg.	9090
				Fashion Design	240
				Fashion Technology	223
				Food Technology	60
				Hotel Mgmt.	160
				Instrumentation & Control	330
				Industrial & Personal Management	60
				Information Technology	280
				Library & Information Science	160
				Mechatronics	360
				Mechanical Engg.	9800
				Mechanical Tool & Die	720
				Mechanical Engg. (Foundary)	60

Sr. No.	Institution	Number	Seats	Course	Intake
				Mechanical Engg. (Metallurgy & Material	60
				Medical Electronics	120
				Medical Lab Technology	450
				Office Management & Computer Application	443
				Pharmacy	1180
				Plastic Engg.	180
				Production Engg.	660
				Textile Design	240
				Text Processing	240
				Textile Technology	280
				Diploma in Business Management (Sales)	360
				Diploma in Business Management (Retail)	300
				Diploma in Business Management (Travel)	210
				Accounts & Audit	1050
				Electronics & Instrumentation	60
				General Engg.	120
				Mechanical (CAD/CAM)	120
				Mechanical CNC	60
				Civil Engg. (Construction Management)	60
				Civil Engg. (Brick Technology)	60
				Diploma in Printing Technology	120
				Diploma in Packaging	120

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

Sr. No.	Institution	Number	Seats	Course	Intake
				Technology	
				Total	**49875**
3	MBA Colleges	157	12605	MBA	12605
4	MCA Colleges	54	3240	MCA	3240
5	B. Pharmacy Colleges	32	1905	B. Pharmacy	1905
	Total	**535**	**112330**		

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय सदस्य और सदन की जानकारी के लिए केवल मात्र एक जानकारी यह भी देना चाहूंगा कि वर्ष 2005-06 में जब कांग्रेस की सरकार आई उस समय पूरे स्टेट में इन सब कैटेगरीज के केवल 154 इन्स्टीच्यूट्स थे जिनमें 27142 सीट्स अवेलेबल थी। अध्यक्ष महोदय, चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार की तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने की विशेष प्राथमिकता है इसलिए पांच साल के बाद हम फख्र से कह सकते हैं कि आज प्रदेश में 546 इन्स्टीच्यूट्स हैं जिनमें 1,12,910 सीट्स अवेलेबल हैं। इन फिगर्ज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछले पांच साल में कितने इन्स्टीच्यूट्स और कितनी सीट्स तकनीकी शिक्षा में बढ़ी हैं?

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, साधनहीन और मध्यम वर्गीय प्रतिभाओं का पैसे की कमी के चलते एडमिशन नहीं होता। इन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों वाले जितने भी निजी संस्थान हैं वे प्रवेश के लिए इच्छुक छात्रों को मनपसंद सीट पर दाखिला देने की ऐवज में डोनेशन और कैपीटेशन फी के रूप में मोटी राशि वसूल करते हैं। क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि इस प्रकार की संस्थाओं के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे जिसके ऊपर 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने रिमार्क्स दिए हैं?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न के दो हिस्से हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक इन सभी इन्स्टीच्यूट्स की फीस का प्रश्न है इस बारे में माननीय सदस्य को भी और आपको भी मालूम है तथा मैं आपकी अनुमति से पूरे सदन को भी बताना चाहूंगा कि फीस के बारे में इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन के केस में जो उच्चतम न्यायालय का निर्णय "Others V/s State of Karnataka" है उसी के मुताबिक पूरे हिंदुस्तान में टैक्नीकल इन्स्टीच्यूट्स की फीस गवर्न होती है। इसके अतिरिक्त हर स्टेट में चीफ जस्टिस के द्वारा निर्धारित एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाई हुई है जिसमें आल इण्डिया काउंसिल फार टैक्नीकल एजूकेशन का मैंबर भी होता है।

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, जो संस्थाएं डोनेशन लेती हैं मैंने उनके बारे में प्रश्न पूछा है।

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, I am just coming to that point. How fee is to be decided ? इन्होंने यह भी कहा कि जो गरीब बच्चे हैं उनको इन इन्स्टीच्यूट्स में दाखिला लेने में समस्या रहती है। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि सरकार ने एक डिटेल्ड स्कीम बना रखी है for reimbursement of tuition fee to SC students. इस स्कीम की डिटेल्ज मेरे पास हैं जो कि बहुत लम्बी हैं, यदि मैं इनको पढूंगा तो बहुत समय लगेगा। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने 414.50 लाख रुपये हरियाणा स्टेट काउंसलिंग सोसायटी के माध्यम से वर्ष 2008-09 के अंदर दिए हैं। इसके अलावा ए०आई०सी०टी०ई० इम्पलीमैंटिड ट्यूशन फी वेवर स्कीम भी है जिसमें 6 हजार सीट्स हैं। जो टोपर स्टुडैंटस हैं उनको अलग से पैसा दिया जाता है। In case of diploma जो गर्ल्ज स्टुडैंटस हैं उनके लिए 20 हजार रुपये तक की ट्यूशन फी की एग्जैम्पशन है in case of B.E. & B. Tech 40 हजार रुपये तक की ट्यूशन फी की एग्जैम्पशन है। Speaker Sir, for Scheduled Caste students, 2008-09 में जिनके पैरैंट्स की इनकम 2.40 लाख रुपये से कम है उनकी सारी ट्यूशन फी हरियाणा सरकार द्वारा रिफंड की गई है। इसी तरह से 2009-10 में हमने यह क्राईटेरिया रिडयूस कर दिया है और जिन स्टुडैंट्स के पैरैंट्स की इनकम एक लाख से 2.40 लाख रुपये के बीच में है उनकी सारी फी सरकार रिफंड करेगी। अध्यक्ष महोदय, इस स्कीम का बहुत सारे छात्रों ने लाभ भी उठाया है जिसकी डिटेल मेरे पास है। जहां तक कैपीटीशन फी चार्ज करने की बात है इसको हम केस टू केस देखते हैं। आल इण्डिया काउंसिल फार टैक्नीकल एजूकेशन के रूल्ज इन सभी इन्स्टीच्यूट्स को गवर्न करते हैं। यदि कोई पार्टिकुलर इन्सटांस माननीय सदस्य हमारे नोटिस में लेकर आयेंगे तो हम ए०आई०सी०टी०ई० को इस बारे में लिखेंगे क्योंकि ए०आई०सी०टी०ई० इस केस में फाईनल आरबीट्रेरी अथारिटी है।

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या टेक्नीकल एजूकेशन विभाग ने भविष्य में और टेक्नीकल संस्थान न खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार या अखिल भारतीय टेक्नीकल शिक्षा परिषद् को भेजा है?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि all such technical institutes across India are governed by All India Council for Technical Education Act. It is the discretion of All India Council for Technical Education to grant or not to grant recognition upto 2007-2008, if I remember correctly. They used to take NOC from us i.e. from the State Government. Now, they have stopped taking NOC also. The Chief Minister himself is concerned about the raising number of under-graduate courses and institutes in the State. The Chief Minister has personally met the HRD Minister and he has raised this issue on behalf of the State Government कि अगर आप किसी प्रान्त के अंदर टेक्नीकल इंस्टीच्युट खोलना चाहते हैं तो फिर आपको उस प्रान्त से एन०ओ०सी० अवश्य लेना चाहिए परन्तु इस बारे में आल इण्डिया काऊंसिल फॉर टेक्नीकल एजूकेशन और एच०आर०डी० मिनिस्ट्री ने राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जिन

[श्री राम पाल माजरा]
टेक्नीकल संस्थानों ने टेक्नीकल संस्थान खोलने के लिए एप्लीकेशन दी हुई है और जो टेक्नीकल संस्थान पाईपलाईन में हैं, उनका क्या फेट होगा? स्पीकर सर, जिन कालेज अथॉरटीज़ द्वारा एडमिशन के समय विद्यार्थियों को तरह-तरह के सब्जबाग दिखाये जाते हैं लेकिन उनके कालेज सरकार द्वारा निर्धारित नॉर्म्ज जैसे फर्नीचर, स्टाफ, लैक्चरार, कम्प्यूटर और लाईब्रेरी इत्यादि पूरे नहीं करते क्या मंत्री जी उनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि पूरे देश के अंदर जितने भी टेक्नीकल इंस्टीच्यूट्स हैं वे All India Council for Technical Education Act के तहत गवर्न होते हैं। स्पीकर सर, इस कारण पूरे मुल्क के अंदर इनको डि-रिकोग्नाईज्ड करने का अधिकार स्टेट गवर्नमैंट्स को नहीं है। स्पीकर सर, इसके बावजूद भी अगर कहीं से हमें इस प्रकार की कोई शिकायत मिलती है तो स्टेट गवर्नमैंट का टेक्नीकल एजूकेशन डिपार्टमैंट ए०आई०सी०टी०ई० के साथ उस मामले को टेप-अप करता है। इसके साथ ही हम यह भी सुनिश्चित करते हैं कि वे या तो नॉर्म्ज पूरे करें या फिर ए०आई०सी०टी०ई० उनको डि-रिकोग्नाईज्ड करे।

Pending Applicantion for Tubewell Connection

***105. Shri Krishan Lal Panwar :** Will the Power Minister be pleased to state—

(a) the number of pending applications for tubewell connections in the State ;

(b) whether these applicants are being paid interest on the amount deposited with the Power Utilities ; and

(c) the time by which the connections mentioned in part (a) above are likely to be released ?

बिजली मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह) :

(क) 31.01.2010 तक राज्य में नलकूप कनैक्शनों के लिए लम्बित पड़े आवेदनों की संख्या 70350 है।

(ख) नहीं श्रीमान्।

(ग) 31.3.2009 तक जिन आवेदकों ने पूरी राशि जमा करा दी हैं उनको 30.6.2010 तक कनैक्शन दे दिये जाएंगे।

श्री कृष्ण लाल पंवार : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जैसा कि इन्होंने अपने जवाब में भी कहा है कि 31.1.2010 तक 70350 कनैक्शंज पैंडिंग हैं। स्पीकर सर, एक तो मैं यह चाहूंगा कि मंत्री जी पैंडिग कनैक्शंज का जिलेवार ब्यौरा दें कि कौन से जिले में कितने कनैक्शंज पैंडिंग हैं। इसके अलावा मंत्री जी उन

किसानों का ब्यौरा देने का भी कष्ट करें जिनकी कनैक्शन लेने हेतु पूरी की पूरी राशि जमा हो चुकी है।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने 31.3.2010 तक जो किसानों के पैंडिंग कनैक्शंज की जिलेवार डिटेल पूछी है इस बारे में मैं पहले इनको उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम की जिला वाईज स्थिति बताता हूं। वह हैं अम्बाला में 1675, यमुनानगर में 7314, कुरुक्षेत्र में 2493, करनाल में 6412, सोनीपत मे 5926, जीन्द में 9088, रोहतक में 2135, पानीपत में 3832, झज्जर में 1936, कैथल में 7660, जिनका कुल योग 48471 बनता है। स्पीकर सर, इसी प्रकार से दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंतर्गत जो जिले आते हैं उनकी स्थिति इस प्रकार है। फरीदाबाद में 1358, गुड़गांव में 1117, नारनौल में 2379, भिवानी में 2530, हिसार में 4146, सिरसा में 10349, जिनका कुल योग 21879 बनता है। इस प्रकार से उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम दोनों का टोटल 70350 हुआ। स्पीकर सर, इसके अलावा जहां तक इनके दूसरे सवाल का संबंध है 1.12.2008 तक डिमांड नोटिस इश्यू होने के बाद जिन्होंने 20 हजार रुपये जमा करवा दिये उन्हें कनैक्शन उस टाईम तक दे दिये गये। दूसरी बात 1.12.2008 के बाद जिसने पैसे जमा करवाये हैं या जिन्होंने 31.3.2009 तक आवेदन दिये हैं हम पूरा प्रयास करेंगे कि 30.6.2010 तक उन्हें कनैक्शन दे दें। इस प्रकार के किसानों की संख्या 11962 है।

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि किसानों को जब कनैक्शन देते हो तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया बनाया गया है? किसान द्वारा कनैक्शन के लिए जमा करवाया गया पैसा किस हैड में जमा करवाया जाता है तथा जिन किसानों ने पैसा जमा करवा दिया और उनको कनैक्शन नहीं दिया गया क्या उनके लिए उस पैसे का ब्याज देने का सरकार का विचार है क्योंकि मंत्री जी ने उसका जवाब 'ना' में दिया है?

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो 'ना' में जवाब दिया है उसके कुछ कारण हैं वे मैं बता देता हूं। इसके लिए जो प्रक्रिया है वह यह है कि आवेदक सब-डिविजन लेवल पर अपना कनैक्शन अप्लाई करता है। कनैक्शन एप्लाई करने के बाद समय-समय पर उनको डिमांड नोटिस जारी किया जाता है। डिमांड नोटिस जारी करने के बाद सब-डिविजन लेवल पर ही उसकी कनसैंट राशि 20 हजार रुपये जमा करवाई जाती है। कनसैंट राशि जमा होने के बाद उसका ऐस्टीमेट तैयार किया जाता है और ऐस्टीमेट तैयार होने के बाद प्राइवेट टैंडर कॉल करके उनको कन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है और उसके बाद उनको कनैक्शन रिलीज कर दिये जाते हैं।

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो 20 हजार रुपये की कनसैंट राशि बताई है क्या उसके अलावा पर स्पैन भी किसान से कोई पैसा चार्ज किया जाता है यदि लिया जाता है तो वह राशि कितनी है?

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, 20 मीटर तक तो हमारे पास जो इनफ्रास्ट्रक्चर है उसमें से निगम ही दे देता है उसके बाद आगे 7 हजार रुपये पर स्पैन के आधार पर

[श्री महेन्द्र प्रताप सिंह]
किसान से चार्ज किया जाता है। जब वह यह राशि जमा करवा देता है तो उसको कनैक्शन रिलीज कर दिया जाता है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो माननीय मंत्री जी ने पंवार साहब की चिन्ता पर वाजिब रूप से जवाब दे ही दिया है कि पर स्पैन कितना चार्ज किया जाता है लेकिन मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि 28.9.2001 तक यह पर स्पैन चार्ज नहीं लिया जाता था। 28.9.2001 में इंडियन नैशनल लोकदल की सरकार ने इसको पहली बार लागू किया था और किसान पर यह बोझ डाल दिया गया था।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि डिमांड नोटिस इश्यू होने के समय कई बार किसान की आर्थिक हालत अच्छी नहीं होती और वह कनसैंट राशि जमा नहीं करवा पाता। उस स्थिति में क्या दोबारा उसको कोई मौका दिया जायेगा?

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, डिमांड नोटिस जारी होने के बाद 3 महीने का समय दिया जाता है। मैं समझता हूँ कि जिसको कनैक्शन की जरूरत है वह 3 महीने के समय में पैसे का इंतजाम कर ही देता है। दूसरा जैसा कि भाई सुरजेवाला जी ने फरमाया कि इनके समय में ही यह स्कीम लागू की गई थी। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं की स्कीम की वजह से और जो खर्चे निगम पर पड़े, मेरे ख्याल से 3100 करोड़ रुपये से ज्यादा आज भी बकाया पड़ा है। मुख्यमंत्री जी की फ्राखदिली के कारण ही पीछे 1700 करोड़ रुपये में से 1000 करोड़ रुपये का लाभ लोग प्राप्त कर चुके हैं, वह मुख्यमंत्री जी की माफी स्कीम के मुताबिक हुए हैं। इसलिए जब उनको धीरे-धीरे देने की आदत पड़ जायेगी तो इस पर भी मुख्य मंत्री जी विचार कर लेंगे वे बहुत रहम दिल हैं। जहाँ तक माननीय सदस्य का प्रश्न है तो 3 महीने का समय पर्याप्त समय है।

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, सरकार ने वालेंटरी डिस्कलोजर स्कीम चलाई थी। यह लोड को डिस्कलोज करने के बारे में थी। किसान ने अपना लोड डिस्कलोज कर दिया और आज उनको ट्रांसफार्मर्ज चाहिए। आज वे इन क्यू हैं और इसके लिए बहुत बड़ी लाईन है तथा वे वेटिंग में हैं। सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या उस लम्बी लाईन को तोड़कर के सरकार उनको तुरन्त ट्रांसफार्मर देने के बारे में विचार करेगी? सर, आज नवरात्रों का पहला दिन है इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से विशेष आग्रह करना चाहूंगा कि चाहे डेरों और ढाणियों वाला कर दें, चाहे स्पेन का माफ कर दो, चाहे हाई टैंशन वाली तारों को बदल दें, आज कोई न कोई सही काम तो कर दें।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय माजरा जी को बताना चाहूंगा कि इन्होंने जो ईशू रेज किया है, यह मामला इनके जिले कैथल का और करनाल जिले का भी है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने पिछली कांग्रेस की सरकार में एक क्रान्तिकारी योजना शुरू करी थी, जिसका नाम 'अपना ट्रांसफार्मर योजना' है। 30,000 से अधिक किसानों के खेतों तक 11,000 वोल्ट की लाईन ले

जाकर ट्रांसफार्मर से जोड़ेंगे। सर, आपको भी पता है कि एक-एक ट्रांसफार्मर पर 5-5 कनैक्शन लोगों के जुड़े हुए हैं इसलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सरकार के खर्चे पर उनको कनैक्शन दिया जाएगा, इस पर 400 करोड़ रुपये का खर्चा एक जिले में आएगा। सर 30,000 से ज्यादा ट्यूबवैल्ज की इन्डवीज्वल कनैक्शन कैथल जिले में, करनाल जिले में और कुरुक्षेत्र जिले में देने की योजना लागू हो रही है।

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आज पूरे प्रदेश में वाटर लेवल नीचे जा चुका है। इस वजह से जिस किसान के ट्यूबवैल की मोटर 10 बी०एस०पी० या 7-1/2 हार्स पॉवर की थी, क्या सरकार उनको अपना लोड बढ़ाने का और समय देगी या सरकार के पास कोई ऐसी प्रपोजल है ताकि जो ओवर लोडिड हैं उनको ठीक किया जाए?

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम समय-समय पर लोड बढ़ाने के लिए सर्वे करवाते हैं और मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं कि जहां पर ओवर लोडिड हैं और उनका लोड बढ़ाने की आवश्यकता है (शोर एवं व्यवधान) उस बारे में हम विचार करेंगे और उनका लोड हम जरूर बढ़ाएंगे।

कर्नल रघबीर सिंह : स्पीकर सर, मैं आपकी परमिशन से कहना चाहता हूं कि बिजली मंत्री जी ने स्पैन के 7000 रुपये का जिक्र किया। इसके बारे में मैं सदन को बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने सीसवाल के 33 के.वी. के सब-स्टेशन का उद्घाटन किया और भुरटाना के सब-स्टेशन का उद्घाटन किया था। मुख्यमंत्री जी ने उस समय झोझू के अन्दर एक जन सभा की थी, उसमें किसानों को भी आश्वासन दिया था कि आपका खर्चा बहुत हो जाता है इसलिए स्पैन का आधा खर्चा किसान देगा और आधा खर्चा सरकार वहन करेगी। क्या सरकार के पास इस सम्बन्ध में मामला विचाराधीन है?

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी जी मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना भी कर रहे हैं और उनको याद भी दिला रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय साथी जी को कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी इनके कहे बगैर ही जन-भावना को समझते हैं। जिन्होंने पेमैन्ट नहीं की थी, जो डिफाल्टर थे, उनकी पेमैन्टस को माफ कर दिया है। (विघ्न) जहां तक इस चीज का ताल्लुक है, 7000 रुपये प्रति स्पैन की चर्चा चली थी लेकिन आज बिजली की बढ़ती हुई मांग, उसके बढ़ते हुए खर्चे और बोर्ड की स्थिति को देखते हुए फिलहाल इस बात पर विचार करना संभव नहीं है। किसानों के हितों को देखते हुए अगर संभव होगा तो सारी आर्थिक स्थिति को देखते हुए इस बारे में विचार जरूर किया जाएगा।

Power Houses of NTPC and NHPC

***96. Sh. Krishan Pal Gurjar :** Will the Power Minister be pleased to state the number of Power Houses of NTPC and NHPC togetherwith the details of share of Haryana in the electricity generated by these Power Houses.

बिजली मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह) : श्रीमान, 11334.27 मैगावाट की स्थापित

[श्री महेन्द्र प्रताप सिंह]
क्षमता सहित 12 नं० एन०टी०पी०सी० पावर हाउस हैं जिनमें हरियाणा का हिस्सा 997.64 मैगावाट है तथा 2972.2 मैगावाट की स्थापित क्षमता सहित 8 नं० एन०एच०पी०सी० के पावर हाऊस हैं, जिनमें हरियाणा का हिस्सा 329.9 मैगावाट है। स्थापित क्षमता तथा इन पावर हाउसों में हरियाणा के हिस्से का विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

क्र० सं०	परियोजना का नाम	स्थापित क्षमता (मैगावाट में)	हरियाणा का हिस्सा (मैगावाट में)
एन०टी०पी०सी०			
1.	सिंगरौली सुपर थर्मल परियोजना (उ०प्र०)	2000	200
2.	रिहन्द सुपर थर्मल परियोजना-I (उ०प्र०)	1000	65
3.	रिहन्द सुपर थर्मल परियोजना-II (उ०प्र०)	1000	57
4.	उचांहार सुपर थर्मल (उ०प्र०)	840	34.02
5.	उचांहार-III (उ०प्र०)	210	12
6.	फरक्खा (पश्चिम बंगाल)	1600	14.57
7.	कहलगांव (बिहार)	840	31.75
8.	कहलगांव-II (बिहार)	1500	47.2
9.	अंटा गैस (राजस्थान)	419.33	25.3
10.	ओरय्या गैस (उ०प्र०)	663.36	38.2
11.	दादरी गैस (उ०प्र०)	829.58	40.6
12.	फरीदाबाद गैस (हरियाणा)	432	432
	योग	**11334.27**	**997.64**
एन०एच०पी०सी०			
1.	बेरा-स्यूल हाईडल परियोजना (हि०प्र०)	198	54.9
2.	सलाल हाइड्रो-इलैक्ट्रिक परियोजना (जम्मू एण्ड कश्मीर)	690	104
3.	टनकपुर हाईडल (उत्तराखंड)	94.2	6

क्र० सं०	परियोजना का नाम	स्थापित क्षमता (मैगावाट में)	हरियाणा का हिस्सा (मैगावाट में)
4.	चमेरा हाईडल (हि०प्र०)	540	85
5.	चमेरा-II (हि०प्र०)	300	17
6.	ऊरी हाईडल (जम्मू एण्ड कश्मीर)	480	26
7.	धौलीगंगा (उत्तराखंड)	280	16
8.	दुल्हस्ती (जम्मू एण्ड कश्मीर)	390	21
	योग	2972.2	329.9
	कुल योग	**14306.47**	**1327.54**

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हरियाणा में एन०टी०पी०सी० के कौन-कौन से पावर हाउसिज हैं और उनमें हरियाणा का बिजली का हिस्सा कितना है? (विघ्न) मैं इस बारे में स्पैसिफिक जानना चाहता हूं कि इनमें हरियाणा का हिस्सा कितना है?

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य रिप्लाई की 12 नम्बर टेबल देखें। फरीदाबाद का जो गैस बेस्ड प्लांट है वह 432 मैगावाट का है और हमारा इसमें इतनी ही मैगावाट बिजली का हिस्सा है। यह 432 मैगावाट हिस्सा हम आज भी प्राप्त कर रहे हैं।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, इसी से जुड़ी हुई मैं अपनी एक और सप्लीमैंट्री पूछ रहा हूं। मुन्डेड़ी में जो 432 मैगावाट का एन०टी०पी०सी० का पावर हाउस लगाया गया था वह चौधरी बंसीलाल जी के समय में लगाया गया था। यह पहला उदाहरण है जिसकी पूरी की पूरी बिजली हरियाणा को मिली है। क्या अब इस पावर हाउस का एक्सपैंशन हो रहा है और अगर हो रहा है तो क्या एक्सपैंशन के बाद इससे पूरी बिजली हरियाणा को ही मिलेगी? इसके अलावा जो थर्मल पावर हाउस बन गए हैं या बनने जा रहे हैं उनमें हरियाणा का बिजली का हिस्सा कितना है?

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद का जो गैस बेस्ड पावर हाउस लगा है उसके बारे में इन्होंने फरमाया कि चौधरी बंसीलाल जी के समय में वह पहला प्लांट लगा। यह बात सही है लेकिन इसके लिए जमीन की ऐक्वायर और इसका जो प्लान था, वह तो उनके समय से पहले ही तैयार हो चुके थे। यह ठीक है कि यह बंसीलाल जी के समय में लगा इसलिए इसका पूरा श्रेय उनकी मेहनत को ही जाता है। इसका जो दूसरा फेज 432 मैगावाट का है वह हम उम्मीद करते हैं कि 2012 तक पूरा हो जाएगा और उसमें भी बिजली हमें अवश्य प्राप्त होगी।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, इस दूसरे फेज से हरियाणा को कितनी बिजली मिलेगी?

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह तो भविष्य की हिस्सेदारी की बात है। हम उम्मीद करते हैं कि हम उसमें से भी मैक्सिमम बिजली अर्जित करेंगे। मैक्सिमम 432 मैगावाट भी हो सकती है।

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि झाड़ली में जो एन०टी०पी०सी० द्वारा स्थापित थर्मल प्लांट लग रहा है उसमें हरियाणा का बिजली का हिस्सा कितना है और इस प्लांट के अंदर जो कर्मचारी रखे जाएंगे वह हरियाणा के कितने रेशो के हिसाब से रखे जाएंगे?

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, दीनबन्धु, छोटू राम यमुनानगर के पावर प्लांट का तो काम शुरू हो गया है। राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट खेदड़ की पहली यूनिट शुरू हो गयी है और इसकी दूसरी यूनिट भी अंडर कमीशनिंग है और दूसरी यूनिट इंदिरा गांधी सुपर पावर प्रौजैक्ट, झज्जर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इसमें 1500 मैगावाट में हरियाणा का शेयर आधा है और आधा ही दिल्ली का शेयर है। यह अंडर कंस्ट्रक्शन है।

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मेरा बड़ा ही जरूरी सवाल है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : बड़ा जरूरी क्या है? आप बैठिए। (विघ्न)

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : इस बारे में मैं ऑफहैंड कैसे बता सकता हूं। ये मुझे लिखकर दे दें तो मैं दे दूंगा। (विघ्न)

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि मंत्री जी बता रहे हैं कि झाड़ली में जो 1500 मैगावाट का थर्मल पॉवर प्लांट है उसमें 50 प्रतिशत हिस्सा एन०टी०पी०सी० का है और 50 प्रतिशत हरियाणा सरकार का है ये असत्य बात कह रहे हैं। सही यह है कि इसमें 50 परसैंट हिस्सा एन०टी०पी०सी० का है, 25 परसैंट हरियाणा का है और 25 परसैंट दिल्ली का है। पता नहीं किस आधार पर ये कह रहे हैं कि 50 प्रतिशत हिस्सा हरियाणा का है?

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : उस प्लांट से 50 प्रतिशत बिजली हमें ही प्राप्त होगी तो हमारा 50 प्रतिशत ही हिस्सा हुआ, यह रिकार्ड की बात है।

श्री कृष्ण लाल पंवार : क्या उसमें आधा हिस्सा दिल्ली का नहीं है?

श्री अध्यक्ष : क्या करें आप ही बताओ, when he has categorically said. इस बात को कैसे क्लेरिफाई करें? Please take your seat. (विघ्न)

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आपने तीन सप्लीमैंट्री पूछ ली हैं अब किसी अन्य सदस्य को भी सप्लीमैंट्री पूछने का अवसर दें। बिशन लाल सैनी जी, आप प्रश्न पूछिए।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी कृष्ण लाल पंवार ने जो प्रश्न उठाया है उसका मैं जवाब देना चाहता हूं कि जो जनरेशन ऑफ पॉवर का सवाल है उसमें बिजली का हिस्सा हरियाणा प्रदेश का 50 प्रतिशत है। हां, खर्च में जरूर 25-25 प्रतिशत का हिस्सा है इसमें 25 प्रतिशत खर्च दिल्ली सरकार करेगी और 25 प्रतिशत खर्च हरियाणा सरकार करेगी। हिस्सा 50 परसैंट हरियाणा का है।

श्री बिशन लाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो दीन बंधु सर छोटू राम थर्मल पॉवर प्रोजैक्ट है उसकी जो चिमनियां है उनमें से 24 घंटे 5-5 किलोमीटर तक राख गिरती रहती है उसमें हरियाणा का कितना हिस्सा है और दिल्ली का कितना है?

Mr. Speaker : No need to reply.

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह कोई सवाल नहीं है फिर भी मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि पौल्यूशन के लिए डिवाइस और ऐलीमैंट लगे हुए हैं।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के नाम पर जो थर्मल पॉवर प्लांट झज्जर में लग रहा है उसमें हरियाणा का कितना हिस्सा होगा?

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : इस प्लांट से सारी बिजली ही हमें प्राप्त होगी तो हिस्से का सवाल ही कहां है। वह तो हमारा ही है।

श्री अध्यक्ष : सम्पत सिंह जी, आप सप्लीमैंट्री पूछिए।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मुख्यमंत्री जी ने जवाब दे दिया है।

Reservation to Ex-Servicemen

***67. Col. Raghbir Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to provide reservation to ex-servicemen in Panchayat, Block Samiti and Zila Parishad elections like reservation is being provided to the Women, SC and BC in such elections ; and

(b) if so, the details thereof, if not the reasons thereof ?

PWD (B&R) Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala)

(a) No, Sir.

(b) Question does not arise.

कर्नल रघबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारी आर्मी दुनिया में सैकेंड लार्जेस्ट आर्मी है। मैंने अपने सवाल के माध्यम से जानना चाहा था कि क्या पंचायत, ब्लॉक समिति तथा

[कर्नल रघबीर सिंह]

जिला परिषद् के चुनावों में भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछें।

कर्नल रघबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सवाल ही पूछ रहा हूं। आर्मी में हर दसवां जवान हरियाणा प्रदेश का है और चाहे शहीदों की बात आती है तो भी हरियाणा नंबर वन होता है। जिस प्रकार महिलाओं, अनुसूचित जातियों, पिछड़ा वर्ग के भाइयों को आरक्षण दिया जा रहा है क्या उसी प्रकार का आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों को भी देने पर सरकार विचार करेगी?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक भूतपूर्व फौजियों का सवाल है उस बारे में मैं इनको बताना चाहता हूं कि अगर ये गौर करें तो हमने प्रदेश का सारा वित्त कैप्टन अजय सिंह यादव एक फौजी को ही दे रखा है। हमने फौजी को बहुत मान-सम्मान दे रखा है।

Tosham-Khanak By-Pass

***58. Smt. Kiran Chaudhry :** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state the status of the construction of Tosham-Khanak by-pass road togetherwith the time limit for the construction of the said road is likely to be completed ?

PWD (B&R) Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala) : The estimate for construction of Tosham-Khanak by-pass has been prepared and is under consideration for sanction. At this stage, time limit for construction cannot be indicated.

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि सी०एम० साहब ने वर्ष 2008 में बहुत दरियादिली से यह ऐनाउंसमैंट की थी। अब मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि –"The estimate for construction of Tosham-Khanak by-pass has been prepared and is under consideration for sanction." जब सी०एम० साहब की ऐनाउंसमैंट है और मंत्री जी कह रहे हैं कि "under consideration for sanction" यह बात मेरी समझ में नहीं आई। ये अण्डर कन्सीड्रेशन नहीं होनी चाहिए। वर्ष 2008 की सी०एम० साहब की ऐनाउंसमैंट को तो प्रियोरिटी बेसिज पर अमल करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि इसका क्या मतलब होता है?

Mr. Speaker : I do not think, it is a supplementary.

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न था और मुझे ही आप पूछने नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न कुछ और था और आप पूछने कुछ और लग गयी हैं।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष जी, जो मंत्री महोदय ने अपना आंसर दिया है मैं उस आन्सर में से ही प्रश्न पूछ रही हूं। मैं सप्लीमैंट्री उनके आन्सर में से ही पूछ रही हूं। उसी में से प्रश्न पूछने की इजाजत आप नही दे रहे हैं।

Mr. Speaker : Please sit down.

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष जी, सी०एम० साहब की ऐनाउंसमैंट है उस पर तो अमल होनी ही चाहिए।

Repairs of Road

***136. Sh. Pardeep Chaudhary :** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state whether the road from village Lohgarh to Nanakpur on NH-21A is in very bad condition ; if so, the time by which the said road is likely to be repaired ?

PWD (B&R) Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala) : No, Sir. However, the work for improvement of this road by way of widening & strenghtening from village Lohgarh (Km. 2.200) to village Nanakpur (Km. 11.200) has already been awarded on 4-11-2009. The scheduled date of completion of this work is 01.01.2011. इसके अलावा मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहूंगा कि लोहगढ़ की सड़क 0 से 2.200 किलोमीटर की है वह 30.6.2009 को 415 लाख 93 हजार रुपये लागत से पूरी हो गई है। जो नानकपुर की सड़क 11.200 किलोमीटर से आगे वाली है वह इस समय हमारे अण्डर कंसीड्रेशन है। वह भी हम जल्दी बनायेंगे और इस पर 10 करोड़ 09 लाख 22 हजार रुपये खर्चा आयेगा।

श्री प्रदीप चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कालका विधान सभा क्षेत्र में दमदमा से भवाना, भवाना से जैथल, टोरन से धारड़ी और बेरघाटी से धामसु ये सड़कें मंजूर हो चुकी हैं और कच्ची सड़कें बन चुकी हैं। इसी तरह से शेरला ताल से हरा घाट वाया ठन्डोग पी०डब्ल्यू०डी० ने वर्ष 2004 में रिजर्व फौरेस्ट का पैसा इसके लिए रखा हुआ है। ये कब तक बनायेंगे?

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल कुछ और है और आप पूछ कुछ और रहे हो।

श्री प्रदीप चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं सड़कों के बारे में ही पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : हरियाणा में हजारों सड़कें हैं। आपका सवाल दूसरा है। It is not possible for the Minister to reply this.

श्री प्रदीप चौधरी : अध्यक्ष महोदय, क्या इन सडकों को पक्की करने का कोई सरकार का प्रावधान है, अगर है तो कब तक है?

Mr. Speaker : It is not possible to reply. This is not relevant. Please sit down.

श्री प्रदीप चौधरी : सर, मेरे एरिया की बात है। सड़कें पक्की करने की बात पूछी है।

श्री अध्यक्ष : अगर आपकी इस सड़क के साथ कनैक्टिड बात है तो बता दें।

श्री प्रदीप चौधरी : सर, मेरे एरिया की बात है। मैंने सड़क पक्की करने की बात पूछी है।

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठिए।

Construction of Fly over

***153. Smt. Kavita Jain :** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state —

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a fly-over near the Hindu College in Sonepat city ; and

(b) if so, the time by which the construction work of the abovesaid fly-over is likely to be started ; and if not, the reasons thereof ?

PWD (B&R) Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala) :

(a) Yes Sir, there is a proposal under consideration of the Government to construct a fly-over near the Hindu college in Sonepat city.

(b) No time-frame can be given at this stage for the start of the work as, after the approval of the Government, the revised general arrangement drawings have to be got approved from the Railways and the land will have to be acquired.

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि अगस्त 2009 में मुख्यमंत्री महोदय जी इस पुल की आधारशिला रखने वाले थे तो अब मंत्री महोदय को इसका निर्माण कार्य शुरू करने की डेट देने में क्या दिक्कत है? मंत्री जी इसका कारण बताएं और यह भी बताएं कि कब तक रिवाइज जनरल अरेंजमैंट ड्राइंग्ज रेलवे के पास भिजवाई जाएंगी और क्या फ्लाई ओवर निर्माण के लिए प्राइवेट प्रोपर्टीज को ऐक्वायर करने की आवश्यकता पड़ेगी?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, काबिल विधायिका को यह पता है कि यह शहर का बिल्कुल तंग इलाका है, इसमें पीछे भी जब आर०ओ०बी० बनाने की बात आई थी तो शहर के लोगों और सम्मानित विधायिका का एतराज था क्योंकि इसमें प्रापर्टीज ऐक्वायर होंगी और डैमोलिशंज होगी इसलिए मुख्यमंत्री महोदय ने 27 नवम्बर, 2009 को दोबारा से मीटिंग की। अब जो डिजाइन फाइनल किया गया है उसमें कम से कम प्रोपर्टी ऐक्वायर हों यह बात हम देख रहे हैं। It is, now, a three-legged ROB. इनमें से एक एन०एच०-1 की साइड में उतरेगा, दूसरा गोहाना की तरफ और तीसरा खरखौदा की तरफ उतरेगा। जो हमारी एग्जास्टिंग सोनीपत से गोहाना साइड सड़क है इसके साथ बाजार साइड से खरखौदा की तरफ टू लेन सड़क भी बनानी पड़ेगी। दोनों तरफ तीन मीटर की सर्विस लेन भी बनानी पड़ेगी नहीं तो ऐग्जिस्टिंग ट्रैफिक भी नहीं चल पाएगा। इसमें कुछ जमीन भी ऐक्वायर करनी पड़ेगी। कुछ जमीन रेलवे की और कुछ जमीन पी०डब्ल्यू०डी० से लेनी पड़ेगी इसलिए इस पुल का निर्माण अभी विचाराधीन है।

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, यह प्रोसीजर कब तक पूरा होगा? मंत्री महोदय इसकी टाइम लिमिट बताएं क्योंकि इस पुल की डिमांड 40 वर्षों से चल रही है? 26 जनवरी को भी मंत्री महोदय सोनीपत में आए थे और तब धार्मिक संगठनों और सामाजिक संगठनों ने मिलकर मंत्री महोदय को इस बारे में ज्ञापन दिया था। अगस्त, 2009 में तो मुख्यमंत्री महोदय जी इसकी आधारशिला रखने वाले थे तो फिर इसके निर्माण में क्या दिक्कत है?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने मुझे भी ज्ञापन दिया था और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी इस बारे में जानकारी है। हम इसको जल्दी ही बनाएंगें ताकि कम से कम लोगों की प्रोपर्टी जाए। माननीय सदस्या की भी यही मंशा थी कि कम से कम लोगों की इसमें प्रोपर्टी जाए इसलिए इसे श्री लैगुड़ आर०ओ०बी० बना रहे हैं and we are trying to finalise the designs, जिसमें कम से कम नुकसान हो ताकि यह आर०ओ०बी० भी बन सके।

श्री फूलसिंह खेड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि हल्का गुहला में घग्गर नदी पर ढिढोंता पुल है जिसका ओम प्रकाश चौटाला सरकार में 2004 में शिलान्यास हुआ था उसकी अब क्या स्थिति है?

श्री अध्यक्ष : फूल सिंह जी, आप कहां नदी की बात पर चले गए, सवाल तो पुल का हो रहा है। इस बारे में मंत्री जी कैसे बता पाएंगे। उनको सब कुछ याद तो नहीं है। पेहवा में सरस्वती नदी पर पुल कहां है क्या यह आप बता सकते हैं? सवाल वही करो जो इस सवाल से कनैक्टिड हो।

School at Haryana Education Board

***169. Sh. Ghanshyam Saraf :** Will the Education Minister be pleased to state whether it is a fact that the new building of school has been constructed in Haryana Education Board, Bhiwani; if so the time by which the said School is likely to be started ?

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail) : Yes Sir, there is a school building in the Board's campus. The Board is in the process of working out the modalities to start the school. The school is likely to be started from the academic session beginning from April, 2011.

श्री घनश्याम सर्राफ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या भिवानी क्षेत्र के स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा?

श्रीमती गीता भुक्कल, मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह पृथक प्रश्न है परन्तु जैसे कि मैंने बताया है कि इस समय अपग्रेडेशन आफ स्कूलों की रिवाइज पोलिसी बन रही है। एज पर रिवाइज्ड पोलिसी के नार्म्स के तहत स्कूल अपग्रेड किए जाएंगें।

श्री घनश्याम सर्राफ : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा बोर्ड, भिवानी में कर्मचारियों की बहुत कमी है, उसको कब तक पूरा किया जाएगा ?

Mr. Speaker : It is not possible to give the reply.

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, पहले मैं हर ब्लॉक पर मॉडल स्कूल बनाने का डिसिजन लेने के लिए मंत्री महोदया का धन्यवाद करूंगी। इसके साथ-साथ मैं मंत्री जी से यह भी पूछना चाहूंगी कि इन मॉडल स्कूल्ज की शुरुआत कब तक होगी?

श्रीमती गीता भुक्कल, मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूंगी कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने 2007 में इनडिपैंडैंस डे पर अनाउंसमैंट की थी कि जो बैकवर्ड ब्लॉक्स हैं उनमें स्कूल बनाये जायेंगे। यह स्कीम सैंटरल गवर्नमैंट स्पोंसर्ड स्कीम है जिसके तहत एजूकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स में करीबन 2500 मॉडल स्कूल पहले फेज में बनेंगे। इस समय हमारी प्रक्रिया जारी है। कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने डी०सीज० की मीटिंग ली थी जिसमें उन्होंने कहा था कि बैकवर्ड ब्लॉक्स में एक-एक मॉडल स्कूल के हिसाब से नाम भेज दें। इस तरह का प्रपोजल अभी चल रहा है जो अतिशीघ्र एप्रूव हो जायेगा। इसके लिए सैंट्रल गवर्नमैंट से पैसा लेना है।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया फस्ट फेज की बात कर रही हैं इसलिए मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि क्या भिवानी फस्ट फेज के बैकवर्ड ब्लॉक में है या नहीं है?

श्रीमती गीता भुक्कल, मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगी कि इस समय भिवानी में दो एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स हैं जिसमें एक सिवानी है जहां पर 44.06 प्रतिशत फीमेल लिट्रेसी है और दूसरा तोशाम है जहां पर 43.83 प्रतिशत फीमेल लीट्रेसी है। इसके लिए लैंड रिक्वायरमैंट पांच एकड़ की है। भिवानी में ये दो बैकवर्ड ब्लॉक्स हैं।

Supply of Water

***175. Sh. Ganga Ram :** Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state whether it is a fact that the canal water does not reach in Water Works constructed in the village Manpura etc. of Pataudi Constituency ; if so, the steps taken by Government to solve the said problem ?

PWD (B&R) Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala) : Yes, Sir.

The availability of canal water is insufficient and irregular in Water Works constructed in villages Manpura, Mehchana and Noorgarh due to reduced flow of water in the irrigation system.

To overcome the shortage, 23 tubewells have been installed in 13 villages and 2 Dhanies covered under these 3 water works.

श्री गंगा राम : अध्यक्ष महोदय, इस बहाव को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये हैं और इनको कब तक पूरा किया जायेगा?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने विशेष तौर पर मनपुरा के बारे में सवाल पूछा है जिसे मंडपुरा भी रिकार्ड के अंदर कहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हमने 172.67 लाख रुपये की लागत से नाबार्ड से कनाल बेस्ड वाटर वर्क्स मनपुरा, गुडाना, राजपुरा और हूसनका इन चार गांवों के लिए 13 अक्तूबर, 2005 को बनाना शुरू किया था और जुलाई 2008 में पूरा बना दिया गया था। इसके बावजूद भी जैसा कि मैंने माननीय सदस्य को बताया है वहां पर पानी की समस्या थी और उस समस्या को दूर करने के लिए एक ट्यूबवैल मार्च, 2006 में, एक जनवरी, 2006 में और एक फरवरी, 2010 में यानि टोटल 3 ट्यूबवैल लगाये हैं जो कि ऐडीशनल पानी सप्लीमैंट कर रहे हैं क्योंकि कई बार इरीगेशन का पानी टेल पर नहीं पहुंचता। इसी प्रकार से महचाना के बारे में माननीय सदस्य ने पूछा है। वहां पर महचाना, करौला, राजपुरा, फरीदपुर और महचाना की ढाणी इन चार गांवों और एक ढाणी के लिए 172.67 लाख रुपये की लागत से कनाल बेस्ड वाटर वर्क्स मई, 2005 में शुरू किया गया था और जुलाई, 2008 में सम्पूर्ण कर दिया था। फिर भी टेल पर पानी की समस्या है यह बात मैंने जवाब में भी कंसीड की है। इसीलिए इस वाटर वर्क्स को सप्लीमैंट करने के लिए फरवरी 2008, अक्तूबर 2009, अगस्त 2009 और जनवरी 2010 में एक-एक ट्यूबवैल लगवाये हैं यानि चार ट्यूबवैल हमने पांच साल के कार्यकाल में महचाना आदि गांवों में पानी की सप्लाई देने के लिए लगवाये हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से माननीय सदस्य ने नूरगढ़ के बारे में पूछा है। इस बारे में भी मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि नूरगढ़, मंगवाकी, चीलारकी, हलवाकी, बामणवास और राम नगर की ढाणी के लिए 151.62 लाख रुपये की लागत से कनाल बेस्ड वाटर वर्क्स मई, 2005 में शुरू किया था और मार्च, 2008 में सम्पूर्ण किया था। इसको सप्लीमैंट करने के लिए दो ट्यूबवैल जनवरी, 2005 में और जून, 2006 में लगाये गये हैं। इसके अतिरिक्त हम इरीगेशन मिनिस्टर से इन टच हैं और उन्होंने इरीगेशन विभाग के अधिकारियों को हिदायतें दे रखी हैं कि कनाल बेस्ड वाटर वर्क्स के लिए ज्यादा से ज्यादा रा-वाटर मिले ताकि उनको सप्लीमैंट कर सकें। इसके अतिरिक्त फिर भी कहीं दिक्कत होती है तो हम ट्यूबवैल से पानी की सप्लाई पूरी करने की कोशिश करते हैं।

श्रीमती किरण चौधरी : माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि मंत्री जी ने अभी अपने जवाब में भी कहा कि टेल तक कैनाल वाटर नहीं पहुंच रहा है जो कि हम सभी जानते हैं। स्पीकर सर, पूरे प्रदेश में जहां-जहां पर 4-4 साल से लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या वहां पर सरकार की ओर से डीप ट्यूबवैल्ज लगाने का कोई प्रावधान किया जा रहा है? स्पीकर सर, ऐसे इलाकों में भूमिगत जलस्तर नीचे चले जाने के कारण आर्डीनरी ट्यूबवैल्ज से वहां पर पानी नहीं निकलता। स्पीकर सर, हमारे वित्तमंत्री महोदय ने भी अपने बजट भाषण में कहा है कि मार्च, 2010 तक हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को 40 लीटर पानी प्रतिदिन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। क्या वित्तमंत्री जी की इस स्टेटमैंट को ध्यान में रखते हुए मंत्री जी इस ओर कारगर कदम शीघ्रता से उठायेंगे?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, माननीय सदस्या की चिंता बिल्कुल वाजिब

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]
और सही है। स्पीकर सर, हरियाणा प्रदेश में कई ऐसे एरियाज हैं जहां पर पीने के पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। स्पीकर सर, मैं आपकी अनुमति से पूरे सदन को यह बताना चाहूंगा कि कल इरीगेशन मिनिस्टर महोदय ने अपने जवाब में यह बात कही थी कि यमुना और भाखड़ा दोनों कैनाल्ज के डिस्चार्ज के अंदर पिछले दो साल से काफी भारी कमी आई है। स्पीकर सर, जैसा कि इरीगेशन मिनिस्टर महोदय ने कहा है कि इस साल हमें उनके काफी बैटर होने की उम्मीद है। स्पीकर सर, अगर ऐसा होता है तो जो हमारा दक्षिणी हरियाणा का इलाका है जहां पर पीने के पानी की स्वाभाविक समस्या है वहां पर हमें पीने के पानी के साथ-साथ इरीगेशन के लिए भी पानी की उपलब्धता होने से पानी की किल्लत की समस्या से राहत मिलने की सम्भावना है। स्पीकर सर, इस बारे में इरीगेशन मिनिस्टर से हमारी मंत्रणा होती ही रहती है और वे हमें गाईड भी करते रहते हैं। इसलिए हमें उम्मीद है कि इस बार हमारी यह समस्या काफी हद तक सॉल्व हो जायेगी। स्पीकर सर, इसके बावजूद भी माननीय सदस्या जी की चिंता ठीक है। हम इस बात को भी एक्सपलोर कर रहे हैं कि जहां 50, 100 और 200 फुट तक भी पानी नहीं मिलता है Speaker Sir, we need to explore and go much deeper to see whether potable water is there or not ? We must fulfil the requirement of water. We are seriously considering it and we will try our level best to fulfill the requirement of water within our limited funds.

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सभी जानते हैं कि पानी एक ऐसी जरूरत है जिसके बिना प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में भी किसी का काम नहीं चल सकता। स्पीकर सर, श्रीमती किरण चौधरी ने पानी के मसले को पूरे प्रदेश के साथ जोड़ने का काम किया है जिस बारे में मंत्री जी ने भी अपना जवाब दे दिया है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में अपने विधान सभा क्षेत्र के कुछेक गांवों की पीने के पानी से संबंधित समस्यायें लाना चाहता हूं। स्पीकर सर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में कम से कम 15 ऐसे गांव हैं जिनमें पीने के पानी की बड़ी भारी किल्लत है। इनमें से एक गांव कर्मसाणा तो ऐसा है जिस गांव के लोग राजस्थान के ढंढेला गांव से पीने का पानी 500 रुपये प्रति टैंकर के हिसाब से खरीदकर लाते हैं। स्पीकर सर, इसके अलावा इस गांव में नहर के पानी का प्रॉविजन भी है लेकिन फिर भी जोहड़ में पानी नहीं आता जिस कारण पशुओं के लिए भी पीने के पानी का अभाव है।

Mr. Speaker : Abhey Ji, please put your specific supplementary.

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस मामले में वे क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष जी, अभय सिंह जी ने उनके इलाके की जो समस्या बताई है इस बारे में वे मुझे लिखवाकर भिजवा दें मैं उन्हें एश्योर करता हूं कि जहां कोई कमी होगी हम उसे जरूर दुरुस्त करवायेंगे।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि जहां पर पानी की दिक्कत है। जहां पर 200 फुट के ऊपर ट्यूबवैल्ज लगे हुए हैं ये उनको और गहरा करले

जा रहे हैं। स्पीकर सर, अभी एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जिसमें यह बताया गया है कि जो भूमिगत जलस्तर है वह हरियाणा में दिन प्रतिदिन तेजी से बहुत नीचे जा रहा है और Haryana and Punjab are the worst hit States of the country in this regard. स्पीकर सर, मैं अपने काबिल मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि हम पीने का पानी निकालने के लिए तो काम करते जा रहे हैं लेकिन क्या ग्राउण्ड वाटर टेबल को रिचार्ज करने के लिए भी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

Mr. Speaker : Vij Ji, is it the specific supplementary? विज साहब, मैं आपको बहुत सयाणा मानता हूं। जो आपने पूछा है मंत्री जी उसके बारे में बता देंगे क्योंकि ये बहुत अक्लमंद आदमी हैं लेकिन फिर भी आप स्वयं सोचिए कि क्या यह सप्लीमैंट्री क्वैश्चन बनता है?

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, (विघ्न)

Mr. Speaker : Vij Ji, I will not permit you. Now, next question please.

Construction of Over Bridge

***162. Sh. Jagdish Nayar :** Will the P.W.D. (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct over-bridges on the railway crossings of Gaudta and Hassanpur in Hodal constitutency ; if so, the time by which the work on the said over-bridges is likely to be started ?

PWD (B&R) Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala) : Yes Sir. There is a proposal to construct over-bridge (ROB) in lieu of level crossing No. 553-C on Hodal-Hassanpur road. The work is likely to be started by November, 2010. However, there is no proposal to construct over-bridge on railway crossing of Gaudta for the present.

अध्यक्ष महोदय, साथ ही साथ मैं यह बताना चाहूंगा कि अभी इसकी डी०पी०आर० बन रही है। एक आर०ओ०बी० की कॉस्ट 22 से 25 करोड़ रुपये आती है। नवम्बर, 2010 तक उस पर हम काम शुरू कर देंगे। दूसरी बात इन्होंने गोडता रेलवे क्रॉसिंग के बारे में पूछी है। इन दोनों के बीच में केवल आधा किलोमीटर का डिफरैन्स है और एक लाख पी०सी०यू० से कम भी है जो कि रेलवे के नार्म में कवर नहीं होता। इसलिये गोडता वाले को हम नहीं बना पायेंगे लेकिन हसनपुर वाले को हम बना देंगे।

श्री प्रदीप चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिन गांवों को आज तक सड़कों से नहीं जोड़ा जा सका है, उनको सड़कों से जोड़ने के लिए तथा जिन नदियों पर पुल नहीं बने हैं उन पर पुल बनाने का या नई सड़कें बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है अगर है तो वह कब तक बनाने की योजना है?

Mr. Speaker : It is a separate question. It is not possible to give reply.

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, it's a very general and separate question.

श्री जगदीश नैय्यर : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में कम से कम 10 रेलवे फाटक हैं और ये सभी शहर से दूर देहात में पड़ती हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि जो मैंने अपने सवाल में पूछी है इन दो को छोड़ कर जो शेष बाकी रेलवे फाटक हैं उन पर कम से कम अंडर पास बनवाने का काम करें। क्योंकि वहां पर जो स्कूली छात्र हैं उनको स्कूल पहुंचने में या सरकारी कर्मचारी हैं उनको ऑफिस पहुंचने में जाम लगने के कारण देरी हो जाती है। कई बार तो फाटक बंद होने के कारण बीमार व्यक्तियों को हॉस्पीटल ले जाते समय मरीज की मौत भी हो जाती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि ग्रामीण एरिया को देखते हुए वहाँ पर अंडर पास बनाने का काम करवाया जाये। इसी प्रकार से मंत्री जी ने जो हसनपुर का बताया है उस पर यथाशीघ्र काम शुरू करवाया जाये।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की चिन्ता से अपने आपको भी जोड़ता हूँ। इसीलिए जो दिल्ली मथुरा रोड है इस पर वाकई दिक्कत थी। जब फाटक बंद हो जाता था तो जाम लग जाता था। इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने और सरकार ने निर्णय लिया है और जैसा मैंने बता दिया है कि हम आर०ओ०बी० बनायेंगे। जहां तक माननीय सदस्य का प्रश्न है कि पूरे इलाके में कहां-कहां आर०ओ०बी० या आर०यू०बी० बनेंगे वह एक पृथक प्रश्न है और उसका जवाब यहां दे पाना सम्भव नहीं है। मैं फिर भी माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि 1 नवम्बर, 1966 में जब हरियाणा बना तब से लेकर 2005 तक, जब कांग्रेस की मौजूदा सरकार आई तब तक पूरे अर्से में केवल 16 आर०ओ०बी० बने थे। उसके बाद 5 साल के अर्से में हमने 280 करोड़ रुपये की लागत से 16 आर०ओ०बी० और बना दिये। यानि जितने 38 साल के समय में बने उतने ही हमने पिछले 5 साल के कार्यकाल में बना दिये। अध्यक्ष महोदय, 13 आर०ओ०बी० और हैं वे इस समय अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। We are doing our best within our limited resources.

श्री अशोक अरोड़ा : कहाँ-कहाँ बनाये हैं यह तो बताओ ? वे सारे एक ही शहर में बनाये गये हैं।

श्री सुभाष चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो दिल्ली-मथुरा रोड है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, अरोड़ा साहब स्पीकर भी रहे हैं और सीनियर मंत्री भी रहे हैं इन्होंने एक प्रश्न उठाया है कि सारे जो पुल हैं वे एक ही शहर में बने हैं। मेरे पास वह लिस्ट उपलब्ध है अगर आपकी अनुमति हो तो मैं वह पढ़ कर सुना देता हूं कि कहां बने हैं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, पढ़ दो।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, पहला आर०ओ०बी० रिवाड़ी में रिवाड़ी-नारनौल रोड़ पर सितम्बर, 2006 में बना है। इसी प्रकार से ROB phase II at Kurukshetra on Yamuna Nagar-Pipli-Pehwa Road, ROB at Kesri (Ambala) on Saha-Shahabad Road, ROB at Palwal (Faridabad) on Palwal-Aligarh Road, ROB at Karnal on Karnal-Kachwa-Shamli Road, ROB at Hisar on Thandi Sadak, ROB at Gannaur

on Gannaur-Shahpur Road, ROB at Rohtak on NH -71, ROB at Ballabgarh on Ballabgarh Sohna Road have been constructed.

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now, the question hour is over.

नियम 45(1) के अधीन सदन के मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Bus Service to Kaithal

***180. Shri Phool Singh Kheri :** Will the Transport Minister be pleased to state whether it is a fact that buses of Haryana Roadways are not plying from the villages Bichhyayan, Machhrehri, Riwar, Balwera to Kaithal via Cheeka ; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to provide Haryana Roadways bus service from the above stated villages togetherwith the time by which the said service is likely to be started ?

परिवहन मंत्री (श्री ओम प्रकाश जैन) :

हां, श्रीमान जी,

इस मार्ग पर सहकारी परिवहन समिति द्वारा अपनी बस चलाई जा रही है, इसलिये इस मार्ग पर हरियाणा राज्य परिवहन का बस चलाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

Repair of Roads

***185. Shri Devender Kumar Bansal :** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to repair all the roads falling in Barwala Block including Ramgarh ; if so, the details of roads likely to be repaired in the next financial year ?

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : नहीं, श्रीमान जी। वर्ष 2005 से 2010 तक 10.68 करोड़ रुपये की लागत से 24 सड़कों की मरम्मत की जा चुकी है।

Conversion of Industrial Areas into Commercial Areas

***26. Prof. Sampat Singh :** Will the Industries Minister be pleased to state —

(a) when the policy of converting old industrial areas into commercial areas was announced togetherwith the details thereof ; and

(b) how much land of old industrial areas have been allowed change of land use togetherwith the total amount of income received by the Government ?

उद्योग मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह) :

(क) श्रीमान जी, राज्य सरकार ने पानीपत, सोनीपत, बहादुरगढ़ और यमुनानगर के पुराने औद्योगिक क्षेत्रों के औद्योगिक भू खण्डों को वाणिज्यिक प्रयोग हेतु परिवर्तन करने की अनुमति इसकी अधिसूचना संख्या 2/6/161-आई बी-II-2006 दिनांक 14.9.2006 के द्वारा प्रदान की है।

(ख) 21583.93 वर्ग मीटर भूमि को वाणिज्यिक प्रयोग के लिए अनुमति प्रदान की गई है और इससे राज्य को 1,38,11,903/- रुपये (एक करोड़ अड़तीस लाख ग्यारह हजार नौ सौ तीन रुपये) की राजस्व राशि की प्राप्ति हुई है।

Atrocities against SCs & STs

***75. Sh. Ashok Kumar Arora :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of cases cancelled, withdrawn and accused persons discharged under the Act. (Prevention of Atrocities Act against SCs/STs); and

(b) the number of cases registered, yearwise, for crime against persons and for crime against property for the year 2001 to 2009?

मुख्यमंत्री (भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : वांछित सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है—

विवरण

बिन्दु (क) अनुसूचित जाति व जनजाति के विरुद्ध अत्याचार के अभियोगों का विवरण									
मुकद्दमों का विवरण	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
रद्द किए गए मुकद्दमे	15	12	12	20	31	35	44	48	42
वापिस लिए गए मुकद्दमे	0	0	0	0	0	0	0	0	0
रिहा हुए अभियुक्त	7	8	10	20	32	35	13	34	2
बिन्दु (ख) वर्षवार मानव विरुद्ध अपराध तथा सम्पत्ति विरुद्ध अपराध के दर्ज मुकद्दमों की संख्या									
अपराध का शीर्ष	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
मानव विरुद्ध अपराधों की संख्या	15870	15986	14524	14151	14813	17388	17175	17978	18037
सम्पत्ति विरुद्ध अपराधों की संख्या	10081	9999	9716	10192	13415	16140	16928	18785	19098

Shifting of Employment Exchange Office

***34. Sh. Anil Vij :** Will Labour and Employment Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to shift the Employment Exchange office from Ambala City to Ambala Cantt ?

बिजली मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह) : जी नहीं, श्रीमान् ।

Gas Based and Coal Based Power Houses

***97. Shri Krishan Pal Gurjar :** Will the Power Minister be pleased to state the number of gas-based Power Houses and coal-based Power Houses togetherwith the details of the total power factor load of these Power Houses ?

बिजली मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह) : श्रीमान् जी, विवरण सदन के पटल पर रखा है ।

विवरण

1. गैस आधारित विद्युत संयंत्र :

हरियाणा की अपनी कोई भी गैस पर आधारित विद्युत उत्पादन परियोजना नहीं है । भारत सरकार के विद्युत उपक्रम, नेशनल थर्मल पॉवर कॉरपोरेशन (एन०टी०पी०सी०) द्वारा संचालित एक 432 मैगावॉट क्षमता का गैस पर आधारित संयुक्त संयंत्र फरीदाबाद में है जिससे उत्पादित सम्पूर्ण बिजली हरियाणा को मिलती है ।

2. कोयला आधारित विद्युत संयंत्र :

हरियाणा में संचालित तथा निर्माणाधीन कोयले पर आधारित विद्युत संयंत्रों का ब्योरा, उनके प्लांट लोड फैक्टर के साथ निम्न प्रकार से है :

क्र० सं०	पॉवर स्टेशन का नाम	स्थापित क्षमता	2009-10 में (जनवरी 2010 तक) प्लांट लोड फैक्टर
1.	पानीपत थर्मल पॉवर स्टेशन, पानीपत	1367.8 मैगावॉट	85.65%
2.	फरीदाबाद थर्मल पॉवर स्टेशन, फरीदाबाद	55 मैगावॉट	55.81%
3.	दीन बन्धु छोटू राम थर्मल पॉवर स्टेशन, यमुनानगर	600 मैगावॉट	82.55%
4.	राजीव गांधी थर्मल पॉवर परियोजना, खेदड़, हिसार	1200 मैगावॉट	कमिशनिंग अवस्था में
5.	इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पॉवर परियोजना, झज्जर	1500 मैगावॉट (हरियाणा का हिस्सा 750 मैगावाट)	निर्माणाधीन
6.	महात्मा गांधी सुपर थर्मल पॉवर परियोजना, झज्जर	1320 मैगावॉट	निर्माणाधीन

Anganwadi Centres in Urban Areas

*132. **Smt. Sumita Singh :** Will the Women and Child Development Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Govt. to open Anganwari Centres in the Urban areas of the State, if so, the details thereof ?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल, मातनहेल) : जी हां, विवरणी विधानसभा के पटल पर रखी है।

विवरण

राज्य सरकार द्वारा 8255 नए आंगनवाड़ी केन्द्र/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र जनवरी, 2010 में स्वीकृत किये गये। भारत सरकार द्वारा एक समेकित बाल विकास परियोजना खोलने के लिये निम्नलिखित नार्मज निर्धारित किये गये हैं --

(i) **ग्रामीण क्षेत्र के लिये**

सामुदायिक विकास खण्ड, समेकित बाल विकास परियोजना स्वीकृत करने की एक इकाई है, चाहे उसमें कितने ही गांव/जनसंख्या हो और उसको ग्रामीण परियोजना कहते हैं।

(ii) **शहरी क्षेत्र के लिये**

शहरी क्षेत्रों में 1.00 लाख की स्लम जनसंख्या पर समेकित बाल विकास परियोजना स्वीकृत की जाती है तथा उसको शहरी परियोजना कहते हैं। शहरी स्लम जहां पर जनसंख्या 1.00 लाख से कम है, उनको नजदीकी ग्रामीण परियोजना के साथ जोड़ा जाता है।

शहरी क्षेत्रों के लिए नए स्वीकृत

आंगनवाड़ी केन्द्रों/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों का विवरण

क्रमांक	जिले का नाम	परियोजना का नाम (श०-शहरी) (ग्रा०-ग्रामीण)	शहरी क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केन्द्रों/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या आंगनवाड़ी केन्द्र	मिनी आंगन वाड़ी केन्द्र	कुल	कुल जोड़
1	2	3	4	5	6	7
1.	अम्बाला	अम्बाला (श०)	42	0	42	45
		नारायणगढ़ (ग्रा०)	3	0	3	
2.	यमुनानगर	जगाधरी (श०)	29	0	29	
3.	पानीपत	पानीपत (श०)	44	0	44	49
		समालखा (ग्रा०)	4	1	5	

1	2	3	4	5	6	7
4.	नारनौल	नारनौल (श०)	25	0	25	37
		अटेली (ग्रा०)	2	0	2	
		महेन्द्रगढ़ (ग्रा०)	10	0	10	
5.	भिवानी	भिवानी (श०)	24	0	24	52
		दादरी-1 (ग्रा०)	16	2	18	
		सिवानी (ग्रा०)	4	0	4	
		लोहारू (ग्रा०)	6	0	6	
6.	फरीदाबाद	बल्लभगढ़ जोन (श०)	113	0	113	469
		होडल (ग्रा०)	9	0	9	
		पुराना फरीदाबाद जोन (श०)	113	0	113	
		पलवल (ग्रा०)	37	0	37	
		एन०आई०टी० फरीदाबाद जोन (श०)	197	0	197	
7.	कैथल	कैथल (श०)	32	0	32	56
		पुण्डरी (ग्रा०)	5	0	5	
		गुहला (ग्रा०)	3	0	3	
		कलायत (ग्रा०)	16	0	16	
8.	हिसार	हिसार (श०)	3	0	3	98
		हांसी-1 (ग्रा०)	43	0	43	
		नारनौंद (ग्रा०)	25	0	25	
		बरवाला (ग्रा०)	27	0	27	
9.	कुरुक्षेत्र	थानेसर (श०)	22	0	22	48
		पेहवा (ग्रा०)	2	0	2	
		शाहबाद (ग्रा०)	9	2	11	
		लाडवा (ग्रा०)	13	0	13	
10.	रिवाड़ी	रिवाड़ी(श०)	11	0	11	11
11.	करनाल	करनाल (श०)	40	0	40	67
		नीसिंग (ग्रा०)	7	0	7	
		नीलोखेड़ी (ग्रा०)	5	0	5	
		घरौंडा (ग्रा०)	12	0	12	
		असन्ध (ग्रा०)	3	0	3	
12.	जींद	जींद (श०)	25	1	26	55
		नरवाना (ग्रा०)	14	0	14	
		उचाना (ग्रा०)	7	0	7	
		सफीदों (ग्रा०)	8	0	8	

[श्रीमती गीता भुक्कल, मातनहेल]

1	2	3	4	5	6	7
13.	सोनीपत	सोनीपत (श०)	71	0	71	106
		गन्नौर (ग्रा०)	3	0	3	
		गोहाना (ग्रा०)	13	0	13	
		खरखौदा (ग्रा०)	19	0	19	
14.	रोहतक	कलानौर (ग्रा०)	3	0	3	5
		महम (ग्रा०)	2	0	2	
15.	झज्जर	बहादुरगढ़ (श०)	13	0	13	30
		डीघल (ग्रा०)	5	0	5	
		झज्जर (ग्रा०)	12	0	12	
16.	फतेहाबाद	फतेहाबाद (ग्रा०)	19	0	19	43
		रतिया (ग्रा०)	18	0	18	
		टोहाना (ग्रा०)	6	0	6	
17.	गुड़गांव	गुड़गांव (ग्रा०)	9	0	9	67
		सोहना (ग्रा०)	35	0	35	
		पटौदी (ग्रा०)	15	0	15	
		फर्रुखनगर (ग्रा०)	8	0	8	
18.	मेवात	नूंह (ग्रा०)	8	0	8	36
		फिरोजपुर झिरका (ग्रा०)	13	0	13	
		पुनहाना (ग्रा०)	2	0	2	
		तावडू (ग्रा०)	10	0	10	
		हथीन (ग्रा०)	3	0	3	
19.	सिरसा	सिरसा (श०)	21	0	21	34
		डबवाली (ग्रा०)	5	0	5	
		ऐलनाबाद (ग्रा०)	3	0	3	
		रानिया (ग्रा०)	1	0	1	
		ओढां (ग्रा०)	4	0	4	
20.	पंचकूला	पिंजौर (ग्रा०)	26	5	31	31
		कुल	1357	11	1368	1368

Construction of By-Pass

***154. Smt. Kavita Jain :** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct By-Pass around the Sonepat City ; and

(b) if so, the time by which the work is likely to be started for the construction of the abovesaid By-Pass ; and if not, the reasons thereof ?

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) :

(क) हां, श्रीमान जी।

(ख) क्योंकि प्रस्ताव अभी स्वीकृत होना है, अतः समय निर्धारित नहीं किया जा सकता।

Replacement of old Electricity Conductors

***66. Col. Raghbir Singh :** Will the Power Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to replace the old electricity wires/conductors and iron poles installed about three decades ago ; if so, the details thereof ; and if not, the reasons thereof ; and

(b) whether there is any proposal under consideration to release electricity connections to the farmers who have deposited Rs. 20,000/- as security with DHBVN from 1st December, 2008 to till date ; if so, the details thereof ; if not, the reasons thereof ?

बिजली मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह) :

(क) जी हां, श्रीमान। वितरण निगमों द्वारा जहां आवश्यक हो पुरानी बिजली की तारों/कंडक्टर तथा लोहे के खम्भों को नई तारों/पी०सी०सी० खम्भों के साथ बदला जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान अब तक वितरण निगमों द्वारा 1185 कि०मी० एच०टी० लाइन के कंडक्टर, 625 कि०मी० एल०टी० लाइन के कंडक्टर तथा 2800 लोहे के खम्भों को बदला जा चुका है।

(ख) नलकूपों के कनैक्शनों को रिलीज करना एक निरन्तर प्रक्रिया है। अब तक, जिन आवेदकों ने दिनांक 1.12.2008 से पहले 20000 रुपये जमा करवाए थे, उनके कनैक्शन रिलीज किए जा रहे हैं। 1.12.2008 तक के केसों के निपटारा करने के बाद, दिनांक 1.12.2008 के बाद प्राप्त हुए केसों को ले लिया जाएगा।

11.00 बजे

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैंने दो काल अटैंशन मोशन दी थीं जिनमें से एक रोहतक में कम्प्यूटर टीचर्ज पर लाठी चार्ज के बारे में हैं और दूसरी काल अटैंशन मोशन आर्गेनाईज क्राईम बॉय पुलिस (लॉ एंड आर्डर) के बारे में है। इनका क्या फेट है, मैं इस बारे में जानना चाहता हूं? (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Your Calling Attention Notice regarding Lathi-charge on Computer Teachers at Rohtak and Calling Attention Notice regarding law and order in the State have been sent to the Govt. for comments.

श्रीमती किरण चौधरी : स्पीकर सर, मैंने एक काल अटैंशन मोशन रिगार्डिंग शर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन भिवानी डिस्ट्रीक्ट के बारे में दी थी। आपकी इसके बारे में क्या आब्जर्वेशन है? (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : That has been disallowed.

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, इनके पास इसके अलावा कुछ और भी करने को है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, इनको श्री ओम प्रकाश चौटाला जी से क्या फोबिया हो गया है?

श्री राम पाल माजरा : सर, आज संवत नवरात्रि का पहला दिन है। सरकार को चाहिए था कि आज तो कोई अच्छा काम शुरू करते। (शोर एवं व्यवधान) * * * *

श्री अध्यक्ष : ये जो कुछ भी बोल रहे हैं वह कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : * * * *

श्री राम पाल माजरा : * * * *

(इस समय सदन में उपस्थित इण्डियन नैशनल लोकदल के सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर बोलने लग गए।)

श्री राम पाल माजरा : * * * *

श्री ओम प्रकाश चौटाला, एम०एल०ए० के विरुद्ध अभिकथित विशेषाधिकार भंग का प्रश्न

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a notice of Breach of Privilege from Shri Aftab Ahmed, MLA against Shri Om Parkash Chautala, MLA stating that Shri Om Prakash Chautala delivered his speech in the House on 11th March, 2010 on the Budget and made categorically incorrect and misleading statement stating that the Reliance Company has been given 1500 acres of land at a cost of Rs. 370 crore in garb of giving employment, particularly when HSIIDC had acquired this land for the welfare of the people. He further stated that a four acres chunk of land out of this acquired land has been auctioned for Rs. 290 crore. He consequently alleged loss to the exchequer and fraud on account thereof. Besides it, he further asserted that the land of farmers was acquired in the name of 'SEZ' and they were told that they will be given bonus/annuity of Rs. 10,000/- per acre

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

per year. He further stated that even a rupee has not been paid till date to any farmer by way of such bonus/annuity. Whereas the above statement of Shri Om Prakash Chautala is factually and absolutely incorrect. Shri Om Prakash Chautala has made a false, misleading and incorrect statement in the House on both the aforestated subjects. Shri Om Prakash Chautala made this statement wilfully, deliberately and knowingly to mislead this august House. This constitutes a matter of clear breach of privilege of the House. Thus, the matter of making false statement by Shri Om Prakash Chautala on the floor of the House on 11th March, 2010, which involves the question of Breach of Privilege/contempt of the House, be referred to the Committee of Privilege for examination and report by the first sitting of the next Session.

I give my consent to the raising of this question of alleged Breach of Privilege and hold that the matter proposed to be discussed is in order and I now ask Shri Aftab Ahmed, MLA to rise and ask for leave to raise the question of Breach of Privilege.

Now, I request those Members, who are in favour of leave being granted to the motion, to please rise in their seats.

(At this stage, all the ruling party members present in the House rose in their seats.)

Mr. Speaker : As the number of Members who rose in favour of the motion exceeds 15, the leave is granted.

The leave was granted.

Mr. Speaker : Now, Shri Aftab Ahmed, M.L.A. may please move his motion to refer the matter to the Committee of Privileges.

Shri Aftab Ahmed : Sir, I beg to move—

> That Shri Om Prakash Chautala delivered his speech in the House on 11th March, 2010 on the Budget and made categorically incorrect and misleading statement stating that the Reliance Company has been given 1500 acres of land at a cost of Rs. 370 crore in garb of giving employment, particularly when HSIIDC had acquired this land for the welfare of the people. He further stated that a four acres chunk of land out of this acquired land has been auctioned for Rs. 290 crore. He consequently alleged loss to the exchequer and fraud on account thereof. Besides it, he further asserted that the land of farmers was acquired in the name of 'SEZ' and they were told that they will be given bonus/annuity of Rs. 10,000/- per acre per year. He further stated that even a rupee has not been paid till date to any farmer by way of such bonus/annuity. Whereas the above statement of Shri Om Prakash Chautala is factually and absolutely incorrect. Shri Om Prakash Chautala has made a false, misleading and incorrect statement in the House on both the afore-stated subjects. Shri Om Prakash Chautala made this statement wilfully, deliberately and knowingly to mislead this august House. This constitutes a matter

[Sh. Aftab Ahmed]

of clear brach of privilege of the House. Thus, the matter of making false statement by Shri Om Prakash Chautala on the floor of the House on 11th March, 2010, which involves the question of breach of privilege/contempt of the House, be referred to the Committee of Privileges for examination and report by the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Motion moved—

That Shri Om Prakash Chautala delivered his speach in the House on 11th March, 2010 on the Budget and made categorically incorrect and misleading statement stating that the Reliance Company has been given 1500 acres of land at a cost of Rs. 370 crore in garb of giving employment, particularly when HSIIDC had acquired this land for the welfare of the people. He further stated that a four acres chunk of land out of this acquired land has been auctioned for Rs. 290 crore. He consequently alleged loss to the exchequer and fraud on account thereof. Besides it, he further asserted that the land of farmers was acquired in the name of 'SEZ' and they were told that they well be given bonus/annuity of Rs. 10,000/- per acre per year. He further stated that even a rupee has not been paid till date to any farmer by way of such bonus/annuity. Whereas the above statement of Shri Om Prakash Chautala is factually and absolutely incorrect. Shri Om Prakash Chautala has made a false, misleading and incorrect statement in the House on both the afore-stated subjects. Shri Om Prakash Chautala made this statement wilfully, deliberately and knowingly to mislead this august House. This constitutes a matter of clear breach of privilege of the House. Thus, the matter of making false statement by Shri Om Prakash Chautala on the floor of the House on 11th March, 2010, which involves the question of breach of privilege/contempt of the House, be referred to the Committee of Privileges for examination and report by the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Question is —

That Shri Om Prakash Chautala delivered his speach in the House on 11th March, 2010 on the Budget and made categorically incorrect and misleading statement stating that the Reliance Company has been given 1500 acres of land at a cost of Rs. 370 crore in garb of giving employment, particularly when HSIIDC had acquired this land for the welfare of the people. He further stated that a four acres chunk of land out of this acquired land has been auctioned for Rs. 290 crore. He consequently alleged loss to the exchequer and fraud on account thereof. Besides it, he further asserted that the land of farmers was acquired in the name of 'SEZ' and they were told that they well be given bonus/annuity of Rs. 10,000/- per acre per year.

> He further stated that even a rupee has not been paid till date to any farmer by way of such bonus/annuity. Whereas the above statement of Shri Om Prakash Chautala is factually and absolutely incorrect. Shri Om Prakash Chautala has made a false, misleading and incorrect statement in the House on both the afore-stated subjects. Shri Om Prakash Chautala made this statement wilfully, deliberately and knowingly to mislead this august House. This constitutes a matter of clear breach of privilege of the House. Thus, the matter of making false statement by Shri Om Prakash Chautala on the floor of the House on 11th March, 2010, which involves the question of breach of privilege/contempt of the House, be referred to the Committee of Privileges for examination and report by the first sitting of the next Session.

The motion was carried.

Mr. Speaker : This matter is referred to the Committee of Privileges for examination and report by the first sitting of the next Session.

वाक आऊट

श्री रामपाल माजरा : सरकार द्वारा जो प्रिवेलेजस मोशन कमेटी को रैफर किया गया है, हम उसका विरोध करते हैं और सदन से वाक-आऊट करते हैं। (शोर एवं विघ्न)

(इस समय सदन में उपस्थित इण्डियन नैशनल लोकदल के सदस्य और शिरोमणि अकाली दल के एक मात्र सदस्य सरदार चरणजीत सिंह रोड़ी श्री ओम प्रकाश चौटाला के विरुद्ध लाए गए प्रिवलेज मोशन के विरोध में सदन से वाक-आऊट कर गए। (शोर एवं विघ्न)।

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move motion under Rule 15.

P.W.D. (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

> That the proceedings on the items of Business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sitting of the Assembly' indefinitely.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the proceedings on the items of Business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sitting of the Assembly' indefinitely.

Mr. Speaker : Question is—

> That the proceedings on the items of Business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sitting of the Assembly' indefinitely.

The motion was carried.

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move motion under Rule 16.

P.W.D. (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move —

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned *sine die.*

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned *sine die.*

Mr. Speaker : Question is—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned *sine die.*

The motion was carried.

सदन की मेज पर रखे गए कागज-पत्र

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will lay papers on the Table of the House.

P.W.D. (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to lay on the Table of the House.

The Education and Languages Department Notification No. 1/50-2010-Admn. (2), dated the 28th January, 2010, as required under section 7 of the Haryana Official Language Act, 1969.

The Haryana Financial Corporation Notification regarding Revised General Regulations No. HFC/Gen-Regu-/Letter/2009/6408, dated the 12th August, 2009, as required under section 48A of the State Financial Corporations Act, 1951.

The Audit Report on the Accounts of Haryana Financial Corporation for the year ended 31st March, 2009, as required under section 37(7) of the State Financial Corporations Act, 1951.

The Audit Report of the Haryana Labour Welfare Board for the year 2005-2006, as required under section 19-A (3) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

The Audit Report of the Haryana Labour Welfare Board for the year 2006-2007, as required under section 19-A (3) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

The 6th Annual Report of Haryana Power Generation Corporation Limited, Panchkula for the year 2002-2003, as required under section 619-A (3) (b) of the Companies Act, 1956.

The 7th Annual Report of Haryana Power Generation Corporation Limited, Panchkula for the year 2003-2004, as required under section 619-A (3) (b) of the Companies Act, 1956.

The 8th Annual Report of Haryana Power Generation Corporation Limited, Panchkula for the year 2004-2005, as required under section 619-A (3) (b) of the Companies Act, 1956.

The 9th Annual Report of Haryana Power Generation Corporation Limited, Panchkula for the year 2005-2006, as required under section 619-A (3) (b) of the Companies Act, 1956.

The 9th Annual Report of Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam Limited for the year 2007-2008, as required under section 619-A (3) (b) of the Companies Act, 1956.

The Annual Report of Haryana Forest Development Corporation Limited for the year 2002-2003, as required under section 619-A (3) (b) of the Companies Act, 1956.

The Annual Report of Haryana Forest Development Corporation Limited for the year 2003-2004, as required under section 619-A (3) (b) of the Companies Act, 1956.

The Annual Report of Haryana Forest Development Corporation Limited for the year 2004-2005, as required under section 619-A (3) (b) of the Companies Act, 1956.

The Finance Accounts of the Government of Haryana for the year 2008-2009 in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

The Appropriation Accounts of the Government of Haryana for the year 2008-09 in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

The Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 2009 (Civil) of the Performance and Transaction Audit Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

The Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 2009 (Revenue Receipts) of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

The Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 2009 on State Finance Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

समितियों की रिपोर्टज प्रस्तुत करना

(i) पब्लिक अकाउंटस कमेटी की 64वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Now, Prof. Sampat Singh, Chairperson, Committee of Public Accounts will present the Sixty Fourth Report of the Committee on Public Accounts for the year 2009-10 on the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 2004 (Civil & Revenue Receipts).

Chairperson, Committee on Public Accounts (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to present the Sixty Fourth Report of the Committee on Public Accounts for the year 2009-10 on the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 2004 (Civil & Revenue Receipts).

(ii) पब्लिक अंडरटेकिंगज कमेटी की 56वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Now, Shri Anand Singh Dangi, Chairperson, Committee on Public Undertakings will present the Fifty Sixth Report of the Committee on Public Undertakings for the year 2009-10 on the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 2005-2006 (Commercial).

Chairperson, Committee on Public undertakings (Shri Anand Singh Dangi) : Sir, I beg to present the Fifty Sixth Report of the Committee on Public Undertakings for the year 2009-10 on the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 2005-2006 (Commercial).

(iii) वैल्फेयर ऑफ शिडयूल्ड कास्टस, शिडयूल्ड ट्राईब्स एंड बेकवर्ड क्लासिज कमेटी की 33वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Now, Shri Ram Kishan Gujjar, Chairperson, Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes will present the Thirty Third Report of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes for the year 2009-10.

Chairperson, Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes (Shri Ram Krishan Gujjar) : Sir, I beg to present the Thirty Third Report of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes for the year 2009-10.

(iv) गवर्नमैंट अश्योरैंसिज कमेटी की 39वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Now, Shri Ram Pal Majra, Chairperson, Committee on Government Assurances will present the Thirty Ninth Report of the Committee on Government Assurances for the year 2009-10.

Chairperson, Committee on Government Assurances (Shri Ram Pal Majra) : Sir, I beg to present the Thirty Ninth Report of the Committee on Government Assurances for the year 2009-10.

विधान कार्य—

(i) दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 1) बिल, 2010

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Finance Minister will introduce the Haryana Appropriation (No. 1) Bill, 2010 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No. 1) Bill, 2010.

Sir, I also beg to move–

That the Haryana Appropriation (No. 1) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved –

That the Haryana Appropriation (No. 1) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is –

That the Haryana Appropriation (No. 1) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker : Question is —

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is —

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is —

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved —

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(ii) दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 2) बिल, 2010

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Finance Minister will introduce the Haryana Appropriation (No. 2) Bill, 2010 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No. 2) Bill, 2010.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved —

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल (जुलाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के हैड नम्बर 2 और नम्बर 24 के बारे में बोलना चाहूंगा। हैड 2 में ऐसा है कि सिक्सथ पे कमीशन लागू हुआ और हरियाणा के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को बढ़ी हुई तनख्वाहें और एरियर्ज दिए गए लेकिन हाउस में बैठे हुए जितने सदस्य हैं इनका कोई ख्याल नहीं रखा गया। अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है कि सिक्सथ पे कमीशन इस हाउस के सदस्यों के लिए भी अगर लागू हो जाए तो अच्छी बात होगी। अध्यक्ष महोदय, इसके हैड 24 में सिंचाई की

बात है। हमारे यहां सुंदर सब-ब्रांच और हांसी सब-ब्रांच है। सुंदर सब-ब्रांच की टोटल कैरिंग कैपेसिटी 2611 क्यूसिक है लेकिन आज तक भी उसमें 2611 क्यूसिक पानी नहीं चला। जब से यह सरकार बनी है तब से इस नहर में मैक्सिमम 1000 क्यूसिक तक ही पानी चला है। केवल एक हफ्ता ही 1700 क्यूसिक तक यह ब्रांच गई है। पानी कम जाने की वजह से इसके साथ लगते जितने भी इलाके हैं, जहां रजवाहे और डिस्ट्रीब्यूट्रीज से पानी जाता है वहां टेल पर पानी नहीं जा पाता। अध्यक्ष महोदय, यही हाल हांसी सब-ब्रांच का है। इसकी कैरिंग कैपेसिटी 2300 क्यूसिक है लेकिन आज यह ब्रांच 990 क्यूसिक पर चल रही है। इसका मुख्य कारण है कि 1996 में इसकी सफाई हुई थी और उसके बाद से इन दोनों नहरों की सफाई नहीं हुई। सरकार की तरफ से इसी सुंदर ब्रांच पर सरकार ने 5 करोड़ रुपये नाजायज खर्च करके उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने की बजाय इसकी रेजिंग कर दी जबकि उसकी सफाई से इस खर्च को बचाया जा सकता था। इन नहरों की सफाई न होने की वजह से सरकार को डेली बहुत नुकसान हो रहा है। हरियाणा के जो माईन्ज के डारैक्टर हैं उन्होंने नं. 6531 दिनांक 17.10.2006 से एक लैटर लिखी कि इस नहर की रेती की बिक्री के लिए टैण्डर किए जाने चाहिएं। सरकार द्वारा इसकी रिजर्व प्राइस 44 लाख रुपये रखी गई थी लेकिन आज तक डायरैक्टर की 2006 की लैटर जाने के बाद भी कोई टैण्डर नहीं हुए। वहां इस नहर से लगातार रेती की चोरी जारी है। हमारे इरीगेशन कमीशनर मिस्टर जालान साहब जब 24 फरवरी को जींद गए थे तो वहां के लोगों ने इस चोरी की सूचना लिखित में भी उनको दी थी और इस चोरी के होते हुए समय की सी०डी० भी दी थी। करोड़ों रुपये की चोरी लगातार हो रही है, सी०डी० देने के बाद भी अपने अफसरों को बचाने के लिए आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। हद तो यह है कि जो 10-12 आदमी इस दुनियां में ही नहीं हैं उनके नाम से मस्टर रोल बनाकर तनख्वाहें ली जा रही हैं। एक भीम सिंह सपुत्र राम सिंह है उसके एड्रैस का ही नहीं पता कि वह जुलाना का है या जुलानी का है लेकिन उसके नाम से लगातार पैसा ड्रा किया जा रहा है। जालान साहब को लिखित में देने के बावजूद भी जींद डिविजन में सुंदर सब-ब्रांच और हांसी सब-ब्रांच पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। वहां पर बहुत ज्यादा अनियमितताएं हैं उनकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसके अतिरिक्त वहां जो डिस्ट्रीब्यूट्रीज और पुराने-पुराने रजबाहे हैं उनकी सफाई न होने की वजह से टेल बिल्कुल खत्म हो गई हैं इसलिए उनकी तरफ भी सरकार ध्यान दे।

श्री सुभाष चौधरी (पलवल) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि पलवल जिला भी हरियाणा में ही है लेकिन वहां पर किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। पलवल क्षेत्र में आज के दिन बहुत सी समस्याएं हैं। वहां पर 12 गांव खादड़ के हैं जहां पर बहुत देर पहले एक सड़क बनी थी। बहन शारदा राठौर जी यहां बैठी हुई हैं इन्होंने वह सड़क कुछ दिन पहले ठीक भी करवाई थी लेकिन अब उस सड़क की बहुत खराब हालत है। उस सड़क को जल्दी से जल्दी बनवाया जाये। सरकार के रैवये को पलवल की तरफ देखते हुए मुझे लगता है कि शायद पलवल जिला हरियाणा से कुछ अलग है। वहां पर ऐडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज नहीं है। वहां पर लोगों पर सैंकड़ों मुकदमें धारा 302 और 307 के झूठे दर्ज होते हैं। अध्यक्ष महोदय, आप इजाजत

[श्री सुभाष चौधरी]
दें तो मैं सबकी जानकारी सदन में दे सकता हूं। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि कंवर हरिन्दर पाल जो कि कांग्रेस के जिला प्रधान हैं उनके पूरे परिवार के खिलाफ दो साल पहले झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया। वह आज भी कांग्रेस का जिला प्रधान है और उस समय भी था। उसका सारा परिवार दो साल से प्रताड़ित था, अब जाकर हाई कोर्ट से उसको न्याय मिला है। उसके दोषी अब जाकर गिरफ्तार हुए हैं और एक-दो दोषी तो अभी भी रह गये हैं। इसी तरह से पलवल के अंदर धारा 304 और 302 के बहुत से झूठे मुकदमें दर्ज हो रहे हैं। पलवल के अंदर न डी०सी० साहब काम कर रहे हैं और न दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है। वहां पर केवल ****

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, जो नाम ले रहे हैं वह नोट न किया जाये।

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, he should not speak about a person who is not a Member of this House.

श्री सुभाष चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जब रणदीप सिंह सुरजेवाला जी बोलते हैं तब हम नहीं बोलते। अध्यक्ष महोदय, सत्तापक्ष के सदस्य तो न जाने क्या-क्या कहते हैं, हम लोग नहीं बोलते। सत्तापक्ष की तरफ से चाहे किरण जी बोलें या सम्पत सिंह जी बोलें . हम नहीं बोलते।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, अगर आप सदन में सही भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे तो इनका हक बनता है कि ये आब्जैक्शन करेंगे। जो सदस्य इस सदन का मैंबर नहीं है आप उसका नाम न लें।

श्री सुभाष चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लूंगा पूर्व विधायक तो कह सकता हूं। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि हमारे वहां राज केवल एक आदमी ही चला रहा है। सुरजेवाला जी आप सुलझे हुए इंसान हैं और बहुत बढ़िया बोलते हैं यदि आप कहें तो आपको लिखकर दे देता हूं या मुख्यमंत्री जी को लिखकर दे देता हूं क्योंकि हमारे पलवल के अंदर न्याय प्रक्रिया की व्यवस्था खत्म है और बहुत से झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं। मेरी मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि वहां पर न्याय व्यवस्था को अवश्य सुधारें। अध्यक्ष महोदय, इसका एक कारण और भी है कि ये हमारे समधी भी हैं और एक समधाने का रौला भी पड़ रहा है। (हंसी) अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है कि अगर ये समधाना निभायें तो सभी से निभायें क्योंकि मुख्यमंत्री जी के लिए होडल वाले बच्चे और यमुनानगर वाले बच्चे यानि सभी नागरिक बराबर हैं।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, थैंक्यू वैरी मच। प्लीज, अब आप बैठें।

श्री सुभाष चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट का समय और लूंगा। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा कि हमारे वहां पलवल में एक भी कालेज नहीं है और सरकार कहती है कि इन्होंने हरियाणा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत से कालेज और विश्वविद्यालय बनवाये हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या पलवल हरियाणा में नहीं है? क्योंकि पलवल जिले में एक भी कालेज नहीं है।

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

पलवल जिले को 20 सालों से अछूता माना जाता रहा है इसलिए अब वहां कम से कम एक कालेज बनवाया जाये। स्पीकर सर, एक बात मैं बी०पी०एल० की लिस्ट के बारे में कहना चाहता हूं। स्पीकर सर, बी०पी०एल० की लिस्टें सारे हरियाणा प्रदेश में लागू हो चुकी हैं लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में अभी तक भी बी०पी०एल० की लिस्टें लागू नहीं हुई हैं जिससे बी०पी०एल० वर्ग के लोगों को पिछले साल से इस योजना के अधीन मिलने वाला राशन और दूसरे लाभ नहीं मिल रहे हैं। स्पीकर सर, एक बात मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे यहां जब वर्ष 2006 में सैक्टर 21 के लिए जमीन एक्वायर की गई तो उस समय किसानों को 17 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया गया था जिस पर ब्याज मिलाकर किसानों को कुल 26.52 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से पेमैंट की गई थी। स्पीकर सर, हमारे यहां जो सैक्टर 21 है इसके पांच टुकड़े हुए हैं और जिस दिन से एक्वायरमैंट शुरू हुई आज तक उसको पांच बार निकाल दिया गया है। स्पीकर सर, मैं चाहता हूं कि आज वहां पर हाऊस के मैम्बर्ज की एक कमेटी बनाकर भेजी जाये जो यह फैसला करे कि वहां पर ट्रांसपोर्ट सैक्टर हो सकता है या नहीं क्योंकि ट्रांसपोर्ट सैक्टर 8, 10 या 15 किलोमीटर का होना चाहिए। स्पीकर सर, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या वहां पर ट्रांसपोर्ट नगर इसलिए बनाया जा रहा है कि वहां पर एक ही परिवार की और दो कौमों को मार दिया जाये क्योंकि वहां पर गुर्जरों और ठाकुरों के दोनों गांव बराबर में हैं। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि इस सैक्टर को वहां से हटवाया जाये।

श्री कृष्ण लाल पंवार (अनुसूचित जाति, इसराना) : स्पीकर सर, मैं मद नम्बर 40 पर बोलना चाहता हूं जो कि पावर सैक्टर के बारे में है। स्पीकर सर, दीन बन्धू सर छोटू राम पावर प्लांट सितम्बर, 2004 में 2338 करोड़ रुपये की लागत से बना था। स्पीकर सर, इस प्लांट को रिलायंस कम्पनी द्वारा तैयार किया जाना था लेकिन सरकार की कमी की वजह से उसे किसी दूसरी कम्पनी को दे दिया गया। स्पीकर सर, फिर अगस्त, 2005 में उसके दोबारा से टैण्डर किये गये। उस समय उसकी लागत 25.80 करोड़ रुपये ज्यादा आई। स्पीकर सर, इसके अलावा 30 करोड़ रुपये उसकी जमीन के लिए अधिक देने पड़े और 32.25 करोड़ रुपये ब्याज के रूप में भुगतान करने पड़े। इस प्रकार से ये टोटल 163.80 करोड़ रुपये अधिक लगे। स्पीकर सर, इसी प्रकार से जब 14 अप्रैल, 2008 में यूनिट नम्बर-II के बॉयलर को लाईट-अप किया गया तो 24.2.2008 तक उसमें फ्यूल कंजम्पशन 571 मिली लीटर थी और 31 मार्च, 2009 तक की फ्यूल कंजम्पशन 681 मिली लीटर थी। स्पीकर सर, एस०ई०आर०सी० की रिपोर्ट के अनुसार इस बढ़ी हुई फ्यूल कंजम्पशन के कारण इसमें 47.99 करोड़ रुपये अधिक का तेल लगा। स्पीकर सर, इसके अलावा मैं एक बात यह कहना चाहूंगा कि जो हमारे पावर प्लांट्स के लिए कोयला आता है वह डी-ग्रेड का आना चाहिए जबकि आज हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश में एफ-ग्रेड का कोयला आता है। स्पीकर सर, इस एफ-ग्रेड के कोयले में स्टोन की मात्रा ज्यादा होती है जिसकी वजह से जो कोयला मिल्ज इस कोयले को ग्राईंड करते हैं वे खराब हो जाते हैं। इसके अलावा इससे हमारी फ्यूल कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। स्पीकर सर, इसी प्रकार से हमारे पानीपत थर्मल पावर प्लांट का जो यूनिट नम्बर-III है जो कि 110 मैगावाट कैपेसिटी का है वह 29 दिसम्बर को बंद हुआ। स्पीकर सर, उसके टर्बाइन जैनरेटर

[श्री कृष्ण लाल पंवार]

में जो सात बैरिंग होते हैं उनमें से जो पांच नम्बर का बैरिंग होता है उसकी 14-15 सितम्बर को बी०एच०सी०एल० द्वारा रिपेयर की गई थी। स्पीकर सर, इन बैरिंग्स का टैम्परेचर 40-42 डिग्री सैल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए लेकिन करोड़ों रुपये खर्च करके रिपेयर करवाने के बावजूद भी उनका टैम्परेचर 92 डिग्री सैल्सियस था जिस वजह से उसका व्हाईट कार्क पिघलकर सभी बैरिंग्ज में एंट्री कर गया जिससे सात के सात बैरिंग्ज चोक हो गये। इस सबका परिणाम यह हुआ कि हमारी टर्बाइन के साथ-साथ हमारा जैनरेटर भी चोक हो गया। इसके बावजूद भी हमारे सारे पम्प चलते रहे। इसके बाद सरकार की तरफ से एक कमेटी बनाई गई। वह कमेटी वहां जाकर सर्वे करके आई। सर्वे कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 80 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। एक इंजीनियर को बलि का बकरा बना कर चार्जशीट कर दिया गया जबकि कसूर कंपनी का था। इसके अलावा फिर 2 जनवरी को थर्मल प्लांट का जो एक नम्बर यूनिट था उसमें जो फिल्टर होते हैं उनको क्लीन करने के लिए स्टैंडबाई लगा होता है। जब उसको ऑप्रेट किया गया तो वह स्टैंडबाई नहीं हुआ और चौक हो गया जिसकी वजह से टर्बाइन तथा जनरेटर वगैरह सब बंद पड़ी हैं। इसके अलावा जो कोयला है उसकी भी कमी है। पानीपत थर्मल प्लांट में एक साल में 75 लाख मीट्रिक टन की कंजम्पशन है लेकिन सर, हमें सिर्फ 66 लाख मीट्रिक टन कोयला ही मिल पाता है। उस हिसाब से एक महीने में 180 रैक्स आने चाहिएं लेकिन वहां पर 140 से 150 रैक्स ही उपलब्ध हो रहे हैं। इसके अलावा जो यूनिट नम्बर 2 है जो 1997 में 110 मैगावाट की यूनिट थी उसको 118 मैगावाट करने के लिए 350 करोड़ रुपये में जर्मन की ए०बी०वी० कम्पनी को ठेका दिया गया 1997 से लेकर 24 जुलाई, 1999 तक जब चौधरी ओमप्रकाश चौटाला जी ने शपथ ली तब तक वह प्लांट बंद रहा। इन्होंने आने के बाद उसको केवल 60 करोड़ रुपये में चालू किया है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, अब आप बैठिये।

श्री कृष्ण लाल पंवार : सर, थोड़ा समय और दीजिए, मैं अपनी बात जल्दी से कह लेता हूं। सरकार की तरफ से बजट में ब्यान आया कि 2001 से 2005 तक चौ० ओमप्रकाश चौटाला की सरकार में 704.4 मैगावाट बिजली का उत्पादन हुआ। अध्यक्ष महोदय, यह बात सच नहीं है। पानीपत की 210 मैगावाट की छठी यूनिट, 250 मैगावाट की 7वीं यूनिट और 250 मैगावाट की 8वीं यूनिट को चौधरी ओमप्रकाश चौटाला के समय में ही चलाया गया।

डॉ० हरिचन्द मिड्ढा (जीन्द) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके दरबार में पहली दफा आया हूं। लेकिन कुछ इन्साफ नहीं मिला। बेआबरू होकर जा रहा हूं, आंसू बहा कर जा रहा हूं। मेरे हलके के 22 गांव पानी के लिए तरस रहे हैं और सिर्फ 2 गांवों को पानी मिला है। मैं ज्यादा न कहते हुए सिर्फ यही कहूंगा कि आपको इन्साफ की कुर्सी पर देख कर अति प्रसन्नता हुई और बड़ी इन्साफ की उम्मीदें थी। इधर दो बातें होती हैं उधर दस बातें होती हैं। हमें कोई गम नहीं। बेआबरू होकर आपके दरबार से जा रहे हैं।

हरी पगड़ी वाले तेरी शान निराली है,
अब चंद दिनों में तेरी सरकार आने वाली है।

कर्नल रघबीर सिंह (बाढ़ड़ा) : अध्यक्ष महोदय, हाउस में पॉवर के बारे में बहुत बातें हुई हैं। यह बात आप भी मानते हैं और सदन भी मानता है कि चाहे वह इंडस्ट्रीज हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे कोई और विकास का काम हो, हर चीज पॉवर से जुड़ी हुई है। जैसा बताया गया है कि सरकार एक नई स्कीम एच०वी०डी०एस० (High Voltage Distribution System) लाने जा रही है। इसके बारे में मैं सदन को बताना चाहूंगा कि इसको लागू करने से पहले सरकार यदि दिल्ली सरकार से इसकी रिपोर्ट मंगवा ले तो बहुत अच्छा होगा। मेरी जानकारी के मुताबिक दिल्ली में एच०वी०डी०एस० को चालू किया था और वहां पर यह स्कीम फेल हो चुकी है। अध्यक्ष महोदय, एच०वी०डी०एस० स्कीम के तहत इन्होंने लूना माजरा में ट्रायल बेसिज पर 255 ट्रांसफार्मर लगाये हैं जिन पर 3 करोड़ 61 लाख रुपये का खर्चा आया है। इस बारे में मेरी सूचना के मुताबिक उस एरिया में पहले लाईन लॉस 61 परसैंट था लेकिन अब ये 255 ट्रांसफार्मर लगने के बाद वहां पर 72 परसैंट लाईन लॉस हो गया है। एक तरह से यह स्कीम फेल होने जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करूँगा कि इस बारे में पुनर्विचार करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि पॉवर के बारे में माननीय सदस्य श्री सम्पत सिंह जी का 19 फरवरी, 2010 के ट्रिब्यून अखबार में एक ब्यान छपा था कि हरियाणा का जो पॉवर डिपार्टमैंट 2008-2009 में इसका कर्जा 5198 करोड़ रुपये था, 2009-2010 में कर्ज बढ़ कर 10686 करोड़ रुपये हो गया और 2010-2011 में बढ़ कर यह 18458 करोड़ रुपये हो जायेगा। साथ में यह भी लिखा हुआ था कि यह विभाग टूटने के कगार पर है। इसलिए मैं सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि सरकार इस विभाग को टूटने से बचाने का काम करे न कि नये-नये ट्रायल करे। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहूँगा कि मेरी सूचना के मुताबिक उत्तर हरियाणा का कर्ज 7500 करोड़ रुपये है और दक्षिण हरियाणा का 3500 करोड़ रुपये है। इसी प्रकार से जो एक्यूमुलेटिड लॉस है वह उत्तर हरियाणा में 2758 करोड़ और दक्षिण हरियाणा में 1261 करोड़ चल रहा है। इस साल का जो लॉस होने जा रहा है वह उत्तर हरियाणा का 1218 करोड़ का है और दक्षिण हरियाणा का 265 करोड़ का है। अध्यक्ष महोदय, एच.वी.डी.एस. के तीन सर्कल के लिए ठेके दिए हैं और मेरी इन्फर्मेशन के मुताबिक 1295 करोड़ रुपये के ठेके दिए हैं और ये 16 सर्कल के ठेके दिए हैं अभी 13 सर्कल और बाकी रह गए हैं। सर, यह सरकार करोड़ों करोड़ रुपये का खर्चा करने जा रही है जबकि बी.सी.एस. के अन्दर एच.वी.डी.एस. फेल हो चुका है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि इस बारे में पुनः विचार करें। स्पीकर सर, इस पर करोड़ों करोड़ रुपये खर्च करने की बजाए मैं इस सरकार को सुजैशन देना चाहूँगा आज जो 40 साल पुरानी तारें हैं उनको बदलने का काम करें। आज एच.वी.डी.एस. के ट्रायल की बजाए जो पुरानी तारें हैं वे टूट-टूट कर गांव वालों पर गिर रही हैं, मनुष्यों और पशुओं पर गिर रही हैं। इससे बहुत ही जान-माल का नुकसान हो रहा है। स्पीकर सर, यही नहीं आज बिजली का सुधार करने की जरूरत है। स्पीकर सर, मैं ज्यादा न बोलते हुए अपने क्षेत्र बाढड़ा के बारे में कहना चाहता हूँ कि वहां पर कोई कॉलेज नहीं है। मेरी सरकार से गुजारिश है और इन्होंने एजूकेशन के बारे में बहुत सी बातें कहीं हैं। उनको ध्यान में रखते हुए मेरे हल्के में कॉलेज खोला जाए। मेरे बुजुर्गों और माननीय साथियो मेरे हल्के के 10-12 गांवों में पीने के पानी की बहुत किल्लत है।

[कर्नल रघबीर सिंह]
मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वहां पर पानी लाया जाए।

श्री अनिल विज (अम्बाला छावनी) : स्पीकर सर, आपने मुझे मांगों पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं मांग संख्या 1, 3, 17, 27, 36 और 41 पर बोलना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, यह जो मांग संख्या 1 विधान सभा के बारे में है इसमें विधान सभा के लिए 24 करोड़ 54 लाख 13 हजार रुपये रखे गए हैं। मेरा कहना है कि इसमें 180 करोड़ रुपये और जोड़ दिए जाएं ताकि 2 करोड़ रुपये प्रत्येक एम०एल०ए० को क्षेत्र विकास निधि के तौर पर दिए जा सकें। सर, सारे हिन्दुस्तान में हरियाणा ही एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां पर विधायक को क्षेत्र विकास निधि के तौर पर एक भी पैसा नहीं दिया जाता है। स्पीकर सर, अब मैं सामान्य प्रशासन के बारे में कहना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने एक सवाल भी किया था कि हरियाणा में ह्यूमन राईट कमीशन की बहुत सख्त जरूरत है। आस पास के सभी क्षेत्रों में से केवल हरियाणा ऐसा राज्य है जहां पर ह्यूमन राईट कमीशन नहीं बना हुआ है, जबकि यहां पर ह्यूमन राईट वायलेशन की सबसे ज्यादा अधिकता है। जिस प्रदेश में एक महिला को अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए डी०जी०पी० के दफ्तर के बाहर आकर आत्मदाह करना पड़े, जिस प्रदेश में एक बलात्कार की शिकार महिला को यमुनानगर पुलिस स्टेशन में अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए अपने कपड़े फाड़ने पड़ें, उस प्रदेश में सबसे ज्यादा ह्यूमन राईट कमीशन की जरूरत है। (विघ्न) स्पीकर सर, सरकार ने मेरे सवाल के जवाब में कहा कि यहां पर इसकी आवश्यकता नहीं है। स्पीकर सर, मेरा कहना है कि ह्यूमन राईट कमीशन हरियाणा में बनाया जाए। स्पीकर सर, तमाम जो ह्यूमन राईट एसोसिएशंज हैं, चाहे वे एशिया की हैं, यू०एन० की हैं, वे सब इनके बारे में प्वायंट आऊट कर रहे हैं कि हरियाणा जहां पर Police is known as the most notorious police of the country. वहां पर ह्यूमन राईट कमीशन की बात की जाए। उसी प्रकार से स्थानीय प्रशासन के बारे में कहा गया है। इसमें सरकार द्वारा वैट भी लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उनको पैसे भी दिए जाएंगे। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहूँगा कि आज स्थानीय प्रशासन की स्थिति क्या है। मेरे अपने अम्बाला कैंट में पिछले 7 महीने से न तो ई०ओ० है और न ही सैक्रेटरी था। सर, सैक्रेटरी तो अभी लगाया है। सर, वहां पर कोई भी काम प्रोपर ढंग से नहीं चल रहा है। आज हमें इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि हम इसको सही ढंग से चला सकें। स्पीकर सर, रोजगार के लिए सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम के बारे में कहा है कि हम इनका हर साल एग्जाम करवाया करेंगे। लेकिन स्पीकर सर, रोजगार तो है नहीं। स्पीकर सर, मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक मियां-बीबी लड़ रहे थे। मां कह रही थी कि बच्चे का नाम रामू रखेंगे और पिता कह रहा था कि लड़के का नाम शामू रखेंगे। सारा मोहल्ला इक्ट्ठा हो गया। मोहल्ले में एक बुजुर्ग था और उसने उनसे पूछा कि आप लोग क्यों लड़ते हो, बच्चे से ही पूछ लेते हैं कि क्या नाम रखना है। उसने कहा कि बच्चा है कहां, बच्चा तो दस महीने बाद आएगा। अध्यक्ष महोदय, नौकरियां तो है नहीं इसलिए ये वैसे ही काम बढ़ाए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एम्प्लामैंट एक्सचेंज खोलने के बारे में मेरा प्रश्न आज भी लगा हुआ था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अम्बाला कैंट की एम्प्लायमैंट एक्सचेंज पिछले पांच-सात सालों

Haryana Vidhan Sabha Secretariat LIBRARY

से अम्बाला सिटी में काम कर रही है। अम्बाला कैंट में एक भी एम्प्लायमैंट एक्सचेंज नहीं है जबकि अम्बाला सिटी में दो एम्प्लायमैंट एक्सचेंज काम कर रही हैं। स्पीकर सर, अम्बाला कैंट की एम्प्लायमैंट एक्सचेंज भी अम्बाला सिटी में काम कर रही है और अम्बाला सिटी की एम्प्लायमैंट एक्सचेंज भी वहीं पर काम कर रही है। वह एम्प्लायमैंट एक्सचेंज कुछ भूमाफियाओं के प्रभाव के तहत वहां से हटायी गयी है क्योंकि जहां पर एम्प्लायमैंट एक्सचेंज काम कर रही थी उस भूमि को भूमि माफिया हड़पना चाहते हैं। वह जमीन लगभग 200 करोड़ रुपये की है। अंग्रेजों ने वह जमीन अमरीका की एक क्रिश्चयन संस्था को दी थी। ऐसा बताया जाता है कि वह संस्था तो अब खत्म हो चुकी है इसलिए मेरा कहना यह है कि अगर वह संस्था खत्म हो चुकी है तो वह जमीन हरियाणा सरकार की हो जाती है। कुछ प्रभावशाली लोग उस जमीन को कुछ निजी व्यक्तियों को देना चाहते हैं इसलिए झूठे आदमियों को खड़े करके उसकी रजिस्ट्रियां करवायी जाती हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस मामले की जांच सी०बी०आई० से करवायी जाए और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अध्यक्ष महोदय, अब मैं बी०पी०एल० कार्डों के बारे में कहना चाहता हूँ। बहुत लोगों को इस बारे में चिंता है। मेरी एक बात समझ में नहीं आयी कि जब पहला सर्वे करवाया गया था तो उस समय जिनके नाम बी०पी०एल० कार्ड में थे दूसरा सर्वे होने के बाद उनके नाम उनमें से कैसे काट दिए गए ? सर, क्या वे लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए ? हमारे पास ऐसे लोग रोजाना आते हैं जो कहते हैं कि पुराने पीले बी०पी०एल० कार्ड में तो उनके नाम थे लेकिन नये बी०पी०एल० कार्ड की सूची में उनके नाम नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, उनके साथ बहुत ज्यादती हुई है। जो जायज लोग नहीं हैं उनके राशन कार्ड बना दिए गए हैं इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस बारे में विचार किया जाए और जो नया सर्वे हुआ है उसमें उन लोगों के नाम भी शामिल किए जाएं जिनके नाम पहले बी०पी०एल० कार्ड की सूची में थे।

श्री अध्यक्ष : ठीक है विज साहब, आप अब बैठें। आप तो कल भी बोल लिए थे। अब जगदीश नैय्यर बोलेंगे।

श्री जगदीश नैय्यर (अनुसूचित जाति, होडल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने विधान सभा क्षेत्र की कुछ मांगे जो सिंचाई से संबंधित हैं, पीने के पानी से संबंधित हैं, रोजगार से संबंधित हैं, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र होडल के अंदर कुछ गांव ऐसे हैं जिनमें पीने का पानी नहीं है। ये कहते आ रहे हैं कि हरियाणा नम्बर वन, हरियाणा नम्बर वन लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि हमारे यहां पर जो सिंचाई का सिस्टम है वह खराब हुआ पड़ा है। सौंद, बंचारी, डाडका, बुराका और लुहैना गांवों में खारा पानी है और आज तक सरकार वहां पर सही पानी का प्रबन्ध नहीं करवा पायी है इसकी वजह से वहां के किसान बहुत बेरहमी के साथ दुखी हैं और किसान पानी के लिए तरस रहे हैं। पानी की कमी के कारण उनकी फसल हर बार सूख कर खराब हो जाती है। मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जो तीन चार रजवाहे हैं जैसे होडल का जो रजवाहा है उसमें हमने पिछले पांच साल से पानी नहीं देखा है, इसी तरह से हसनपुर का जो रजवाहा है उसमें भी पिछले पांच साल से पानी नहीं आया है। उजीना ड्रेन में भी पानी नहीं था। बंचारी गांव के लोग जब पानी की डिमांड करते हैं तो उनके खिलाफ 300 केस दर्ज कर दिए जाते हैं। मैं

[श्री जगदीश नैय्यर]
अनुरोध करना चाहता हूँ कि जिन बंचारी, डाडका, सौंद और बुराका गांवों में मीठा पानी नहीं है वहां पर पानी उपलब्ध करवाया जाए। अध्यक्ष महोदय, वहां पर टैंकरों के द्वारा आज भी पानी बेचा जा रहा है उस पानी को ही वहां के लोग खरीदकर पीते हैं। मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि इन गांवों के अन्दर पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाए और अतिशीघ्र मेरी इन मांगों को मंजूर किया जाए। इसी तरह से मैं बेरोजगारों की बात करना चाहूँगा। मैं भी युवा हूँ इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि वर्तमान सरकार ने वायदा किया था कि वह दस लाख लोगों को रोजगार देगी लेकिन हुड्डा साहब की सरकार जब से आयी है तब से मेरे क्षेत्र के अन्दर दस लोगों को भी नौकरियों पर नहीं लगा पाए हैं। मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि सरकार द्वारा मेरे विधान सभा क्षेत्र की इस तरह से नैग्लैक्ट न किया जाए।

मास्टर धर्मपाल ओबरा (लोहारू) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको अपने हल्के की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताना चाहूँगा। मेरा लोहारू हल्का 90 हल्कों में सबसे लम्बा हल्का है। मेरे हल्के की 100-110 किलोमीटर लम्बाई है और इसकी चौड़ाई मात्र 15 किलोमीटर है। इस हल्के में दो उप मंडल हैं। तीन तहसीलें हैं जिनमें से दो तहसीलों में खारा पानी है, मेरे हल्के की नहरों में पानी नहीं आता इसलिए हल्के के लोग पानी की बूंद-बूंद के लिए तरस रहे हैं। मैंने कई बार अधिकारियों को कह भी दिया है लेकिन उसके बावजूद भी नहरों में पानी नहीं आया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि मेरी समस्या की ओर जरूर ध्यान दिया जाए और पानी की विशेष व्यवस्था मेरे हल्के के लिए की जाए। तीन तहसीलों में से एक तहसील में मीठा पानी है और बाकी की दो तहसीलों में खारा पानी है। मेरे हल्के से जो रेलवे लाईन गुजर रही है वह बहुत ऊंची है। पहले वहां छोटी लाईन हुआ करती थी लेकिन अब बड़ी लाईन बना दी गई है। रेलवे ऊंचाई पर होने के कारण वहां से न तो ऊंट निकल पाते हैं, न कोई और जानवर निकल पाते हैं और न कुछ और जा सकता है। दूर-दूर तक कोई रेलवे फाटक भी नहीं है जिससे कि फाटक पार करके लोग निकल जाएं और अपने पशुओं आदि को भी ले जायें। मेरे हल्के के लोगों को 15-15 किलोमीटर दूरी तय करके फाटक से होकर जाना पड़ता है। मेरा अनुरोध है कि 5-5 किलोमीटर के दायरे में फाटक की सुविधा दी जाए और पुलों की सुविधा भी दी जाए......

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker : Question is—

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is —

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(iii) दि ईस्ट पंजाब वार अवार्ड (हरियाणा अमैंडमैन्ट) बिल, 2010

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the East Punjab War Awards (Haryana Amendment) Bill, 2010 and will also move the motion for its consideration.

P.W.D. (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to introduce the East Punjab War Awards (Haryana Amendment) Bill, 2010.

Sir, I also beg to move—

That the East Punjab War Awards (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the East Punjab War Awards (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the East Punjab War Awards (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

P.W.D. (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is —

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(iv) दि पंजाब शिडयुल्ड रोडज एंड कंट्रोल्ड एरियाज रिस्ट्रिक्शन ऑफ अनरैगुलेटेड डिवैल्पमैंट (हरियाणा अमैंडमैन्ट) बिल, 2010

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Bill, 2010 and will also move the motion for its consideration.

P.W.D. (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to introduce the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Bill, 2010.

Sir, I also beg to move—

That the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

P.W.D. (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is —

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(v) दि हरियाणा फिस्कल रिस्पोंसिबिलिटी एण्ड बजट मैनेजमैंट (अमैंडमैन्ट) बिल, 2010

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will introduce the Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Bill, 2010 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : Sir, I beg to introduce the Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Bill, 2010.

Sir, I also beg to move—

> That Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

> That Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Sub-Clause (2) of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

> That Sub-Clause (2) of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

> That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause (1) of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

> That Sub-Clause (1) of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

12.00 बजे **Mr. Speaker :** Now, the Finance Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is —

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(vi) दि हरियाणा स्पेशल इकोनोमिक जोन (अमैंडमैन्ट) बिल, 2010

Mr. Speaker : Now, the Industries Minister will introduce the Haryana Special Economic Zone (Amendment) Bill, 2010 and will also move the motion for its consideration.

Power Minister (Shri Mahendra Pratap Singh) : Sir, I beg to introduce the Haryana Special Economic Zone (Amendment) Bill, 2010.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Special Economic Zone (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Special Economic Zone (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री ओम प्रकाश चौटाला (उचाना कलां) : अध्यक्ष महोदय, इस बिल की अमैंडमैंट के पीछे सरकार की क्या मंशा है यह बात इसमें स्पष्ट नहीं की गई है। जैसा परसों हमारे साथी श्री अशोक कुमार जी ने बताया था कि शायद सरकार रिलांयस कम्पनी के हाथों पूरे हरियाणा प्रदेश को देने जा रही है। स्टैम्प ड्यूटी की वजह से लगभग 70 करोड़ रुपये का लाभ देने की कोशिश की जा रही है। ये भ्रांतियां निरंतर अखबारों में छप रही हैं। अध्यक्ष महोदय, भास्कर बिजनैस 6.3.2010 की रिपोर्ट मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ "रिलांयस इंडस्ट्रीज के एस०ई०जैड० को फायदा पहुंचाने के लिए हरियाणा सरकार एक बार फिर नरम पड़ रही है। सरकार इसके लिए विधान सभा के चालू बजट सत्र में हरियाणा एस०ई०जैड० एक्ट, 2005 में संशोधन करने जा रही है। इस संशोधन में रिलांयस इंडस्ट्रीज के लिए छोटे आकार के एस०ई०जैड० बनाने का रास्ता साफ हो जाएगा। संशोधन के तहत एस०ई०जैड० के लिए खरीदी गई जमीन पर अदा की गई स्टाम्प ड्यूटी भी रिफंड करने का प्रावधान किया जा रहा है।"

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, कल हम भी इस तरह से एक न्यूज आइटम पढ़ रहे थे तो आपने कहा था "You cannot read news items like this. You can only refer to this." अध्यक्ष महोदय, आपकी कल की यह रूलिंग है।

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, आपको तो सारी बातें जबानी याद होंगी। आप इसको छोड़कर ऐसे ही बता दो।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात पर आप आपत्ति उठाते इसलिए मैं यह पेपर लेकर आया हूँ।

श्री अध्यक्ष : कल मैंने उनके द्वारा भी अखबार की बात उठाने पर आपत्ति उठाई थी।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, एस०ई०जैड० के नाम पर इन्हें 25 हजार एकड़ भूमि दी गई थी और उसके लिए लगभग 1386 एकड़ भूमि सबसे पहले एच०एस०आई०आई०डी०सी० ने इसको दे दी थी। इस मामले में अभी इनको एक और प्रिवीलेज लाने का मौका मिल जाएगा। वह जमीन जो लगभग 1386 प्वायंट कुछ एकड़ थी लगभग 370 करोड़ रुपये की वह जमीन बनती थी। मैंने जैसे पहले भी कहा था और फिर दोहरा रहा हूँ कि उसके साथ लगती 4 एकड़ जमीन एच०एस०आई० आई०डी०सी० ने ओपन ऑक्शन में नीलाम की थी और वह जमीन 290 करोड़ रुपये में बिकी थी। इसमें लाखों करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है।

राव धर्मपाल (बादशाहपुर) : अध्यक्ष महोदय, क्या चौधरी साहब बताएंगे कि ये 4 एकड़ जमीन कौन सी थी जिसके बारे में ये बार-बार जिक्र कर रहे हैं कि 4 एकड़ जमीन इतने करोड़ में बिकी।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मौका आएगा ते मैं बता दूंगा। वैसे इनको ज्यादा जरूरी है तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ। यह जमीन कई गांवों की ली गई थी। अध्यक्ष महोदय, कल भी इनके द्वारा आपत्ति की गई जब मैंने यह कहा था कि हमारी सरकार के समय में लगभग 20 लाख रुपये से अधिक कम्पनसेशन दिया गया था तब इन्होंने कहा था कि नहीं 3-3 लाख रुपये प्रति एकड़ दिया गया था। गुड़गांव के गांव सिकंदरपुर घोसी, सरहोल, डूंडाहेड़ा व सुखराली की जमीन अधिग्रहण की गई। यह जमीन सैक्टर 24, 25, 25 ए और 28 में पड़ती है। गुड़गांव के कमीशनर ने इसका मुआवजा 22.1.2004 को घोषित किया था जिसकी कीमत पहले 20 लाख रुपये प्रति एकड़ किसानों को दी गई थी। 30 परसैंट सोलेशियम और ब्याज आदि लगाकर 29 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को मुआवजा दिया गया। उस समय जिसकी जमीन अधिग्रहण की जाती थी उसको एक प्लाट भी दिया जाता था। हमारी सरकार के समय में ऐसा प्लाट दिया जाता था। अगर किसी को 500 गज का प्लाट मिले तो आज के रेट के मुताबिक करोड़ों रुपये का प्लाट वह होता है। कांग्रेस की सरकार में स्वर्गीय संजय गांधी की कार फैक्ट्री के लिए सरहोल, डूंडाहेड़ा और बालाहेड़ा गांव की जमीन को लगभग 10 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अधिग्रहण किया गया था। आज उस जमीन की कितनी कीमत है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, आप किस समय की बात कर रहे हैं? आप बहुत पुरानी बात कर रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं ताजा बात बता रहा हूँ। मैं वर्ष 2004 की भी बात बता रहा हूँ। (विघ्न)

Mr. Speaker : Chautala Ji, that is not the issue. (Noise & Interruptions)

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, on a point of order. (Noise & Interruptions).

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, आप बातों को मिंगल न करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, ये लोग कल कह रहे थे कि तीन लाख रुपये के हिसाब से अधिग्रहण हुई है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह तो रिकॉर्ड की बात है। इन गांवों की जमीन के नोटीफिकेशन हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने तो इस पर भी......(शोर एवं व्यवधान)

राव धर्मपाल : अध्यक्ष महोदय, ये तो 35 साल पुरानी बात कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री दलबीर पाल शाह (पानीपत) : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है कि इनके राज में बोहली गांव की जमीन एक्वायर की गई थी जिसमें मेरी जमीन भी गई थी जिसका मुआवजा 5 हजार रुपये से लेकर 20 हजार रुपये तक अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से दिया गया था। यह कौन से सन की बात है यह तो मेरे ध्यान में नहीं है लेकिन मैं यह

कहना चाहता हूँ कि ये अपने आप में किसान के हितैषी तो बनते हैं और जो अब दोबारा जमीन रिफाइनरी के लिए एक्वायर हुई है (शोर एवं व्यवधान) मैं आपके राज की ही बात बता रहा हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Let us not enter into controversy. (Noise & Interruptions) Let him finish.

श्री बलबीर पाल शाह : अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि अब जो जमीन एक्वायर हुई है वह 19 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से एक्वायर हुई है। (शोर एवं व्यवधान) यह क्या हिसाब-किताब है हमें यह समझ में नहीं आया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इस सरकार के अन्दर तो जिन जमीनों का लोगों ने कंपंसैशन ले लिया था और अवार्ड भी मुकर्रर हुआ था वे जमीनें भी रिलीज कर दी गई हैं। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, SEZ Act is under consideration. The land acquisition debate is not going here. (Noise & Interruptions)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, * * *

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, on a point of order. He may not cast aspersion on the Chair. These words must be expunged from the proceedings of the House. (Noise & Interruptions)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, कुरुक्षेत्र में * * * (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded. (Noise & Interruptions) चौटाला जी, आप रास्ता न बदलें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह एस०ई०जैड० एक्ट के ऊपर डिबेट है न कि किसी व्यक्ति विशेष पर लांछण लगाने की डिबेट है। (शोर एवं व्यवधान) कोई भी मैंबर चेयर के ऊपर एसप्रर्सन कास्ट नहीं कर सकता। (शोर एवं व्यवधान) मेरा निवेदन है कि इन्होंने जो भी यह कहा है यह सब डिलिट करवाया जाये।

श्री अध्यक्ष : सुरजेवाला जी, यह नोट नहीं हो रहा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने तो लोगों की सुविधा के लिए जमीन अधिग्रहण की थी जबकि इस सरकार ने सारे कानून कायदे ताक पर रख कर अधिग्रहण की गई जमीन कंपनीज के नाम पर रिलीज कर दी। ऐसा ही रिलायंस के मामले में हुआ है कि रिलायंस कंपनी को 25000 एकड़ जमीन देने की बात की गई थी। उसमें यह शर्त थी कि दूसरी जमीनें और खरीदेंगे। उन्होंने उस शर्त को पूरा नहीं किया था। उन जमीनों में शर्त के मुताबिक आज तक न तो कोई इण्डस्ट्री लगी है, न किसी को कोई

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]
रोजगार मिला है और आज फिर उनको इस एक्ट के माध्यम से मुनाफा दिया जा रहा है। इस नई अमैंडमैंट के जरिये उनको करीबन 70 करोड़ रुपये का मुनाफा देने के बारे में सरकार सोच रही है। अध्यक्ष महोदय, सरकार किसानों की जमीनों को लूट रही है और बड़े औद्योगिक घरानों को इस प्रकार से फायदा दिया जा रहा है।

Mr. Speaker : Chautala ji, thank you very much. प्लीज, अब आप बैठें।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी अब सदन छोड़कर जायेंगे। इन्होंने एस०ई०जैड० एक्ट पर चर्चा करते हुए चेयर पर एसपर्सन कास्ट किए और कई दूसरी बातें भी कही हैं। मैंने इनको बीच में नहीं टोका और इनकी पूरी बात सुनी। इनकी बातें सुनने के बाद मैं दो बातें यहां बताना जरूरी समझता हूँ कि चौटाला जी की सरकार के समय में 29 जनवरी, 2003 को सैक्शन-4 गांव गढ़ी हरसरू और गुड़गांव के दूसरे एरिया के लिए 1779.04 एकड़ जमीन पर जारी किया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इस तरीके से कैसे काम चलेगा। अभी मैं तो बोला ही नहीं हूँ। मुझे अपनी बात कहने के लिए समय दिया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, you have now permitted me to speak. I heard him while he was speaking. (Noise & Interruptions)

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, क्या आप अभी बोले ही नहीं हो। आपका समय तो समाप्त हो गया है। (शोर एवं व्यवधान) आप गुड़गांव से चलकर कुरुक्षेत्र तक पहुंच गये थे और आप कह रहे हैं कि आप बोले ही नहीं। (शोर एवं व्यवधान) अब कौन सी जगह रह गई है?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, ये राजस्थान और यू०पी० आदि कई जगहों पर जा आये इनको वहां से नकार दिया गया इसलिए यहां वापिस आ जाते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, ... (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Chautala ji, I don't allow you. This is not the way. (Noise & Interruptions) चौटाला साहब, आपको यह गलतफहमी है। (शोर एवं व्यवधान) जितना मैं आपको सुन रहा हूँ उतना अभी तक किसी ने किसी को नहीं सुना होगा। (शोर एवं व्यवधान) आपके आठ सदस्य बोल चुके हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, श्री चौटाला जी अपने समय में पैंसिल से हाउस चलाया करते थे। अब ये अपने समय को भूल गये हैं। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, 29 जनवरी, 2003 को चौटाला जी की सरकार ने 1779.04 एकड़ जमीन गढ़ी

हरसरू, जिला गुड़गांव में स्पैशल इकोनॉमिक जोन लगाने के लिए एक्वायर की थी। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, उसके बाद 28 जनवरी, 2004 को दफा-6 के तहत फिर से चौटाला जी की सरकार ने 1715.2 एकड़ जमीन स्पैशल इकोनॉमिक जोन लगाने के लिए एक्वायर की। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, आप कृपा बैठ जाईए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, उसके बाद 27 जनवरी, 2006 को 1600 एकड़ जमीन का अवार्ड कांग्रेस की सरकार के समय में दिया गया। इसके बाद 10 प्रतिशत स्वैट इक्विटी लेकर रिलायंस इण्डस्ट्री और हरियाणा सरकार में एक लिखित समझौता हुआ जिस से रिलायंस हरियाणा स्पैशल इकोनॉमिक जोन नाम से एक नई कम्पनी बनाई गई। इसके बाद 16.12.2006 को जो 1383.68 एकड़ जमीन है वह रिलायंस हरियाणा स्पैशल इकोनॉमिक जोन को 28.90 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से यानि कि कुल लागत लगभग 399.88 करोड़ रुपये के हिसाब से दी गई। स्पीकर सर, चौटाला जी ने कहा कि 1500 एकड़ जमीन दी गई थी यह भी गलत है क्योंकि यह 1383.68 एकड़ जमीन थी। इसके साथ ही चौटाला जी ने बोलते हुए यह भी कहा कि यह जमीन 270 करोड़ रुपये या 290 करोड़ रुपये में दी गई यह भी गलत है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : स्पीकर सर, मैंने 270 करोड़ रुपये या 290 करोड़ रुपये नहीं कहा है। मैं अब भी कह रहा हूँ कि यह जमीन 370 करोड़ रुपये में दी गई थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, अगर ये यह कह रहे हैं कि यह जमीन 370 करोड़ रुपये में दी गई तो इसे भी हम मान लेते हैं। I stand correct it. जो ये कह रहे हैं कि यह जमीन 370 करोड़ रुपये में दी गई यह भी गलत है क्योंकि यह जमीन लगभग 400 करोड़ रुपये में दी गई थी। इसके अलावा इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है जो श्री चौटाला जी ने कही है कि उस जमीन के साथ लगती जो लगभग चार एकड़ जमीन थी वह भी 290 करोड़ रुपये में दी गई। Speaker Sir, I am saying it on the floor of the House that not even a single inch of land out of this acquired land has ever been auctioned by HSIIDC. What he is saying is patently untrue. स्पीकर सर, ये यह असत्य बोल रहे हैं क्योंकि * * *

श्री अशोक कुमार अरोड़ा (थानेसर) : स्पीकर सर, जो मंत्री जी ने ये शब्द बोले हैं ये ठीक नहीं हैं इसलिए इन्हें सदन की कार्यवाही से निकलवाया जाये।

Mr. Speaker : That should be expunged. ठीक है अरोड़ा जी, ये शब्द सदन की कार्यवाही से निकलवा दिये गये हैं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, इसके अलावा श्री चौटाला जी ने 19440 वर्ग मीटर जगह की भी चर्चा की है। यह जमीन सैक्टर-2, इण्डस्ट्रियल टाऊनशिप, मानेसर

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

के अन्दर है। इस जमीन की ऑक्शन 5 जनवरी, 2006 को 279.60 करोड़ रुपये में की गई थी। इस बारे में मैं यह कहना चाहूँगा कहां स्पैशल इकोनॉमिक ज़ोन की ज़मीन और कहां मानेसर की यह जमीन है। यहां पर यह कहकर भी श्री चौटाला ने हाऊस को नोईंगली और विलफुली मिसलीड करने की कोशिश की है। Speaker Sir, what he is trying to do, he is connecting that land with this land and he is trying to say part of this land was auctioned. This is patently untrue. It is completely incorrect. इसके अतिरिक्त इन्होंने यह भी कहा है कि स्पैशल इकोनॉमिक ज़ोन के लिए 10 हजार रुपये प्रति एकड़ देने का प्रामिस किसानों को कर दिया गया और कोई पैसा नहीं दिया गया। श्री चौटाला जी की यह बात भी बिल्कुल गलत है। रिलायंस हरियाणा स्पैशल इकोनॉमिक ज़ोन कम्पनी ने जो एच०एस०आई०आई०डी०सी० की ज़मीन थी उसकी 30 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से टोटल 8.28 लाख रुपये एन्युटी किसानों को दी थी। इसके अलावा रिलायंस हरियाणा स्पैशल इकोनॉमिक ज़ोन ने 30 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से टोटल 740 लाख रुपये भी अलग से किसानों को दिये हैं। श्री चौटाला जी ने एक ईल्ज़ाम यह भी लगाया है कि इस बिल के माध्यम से सरकार किसी विशेष औद्योगिक घराने को 70 करोड़ रुपये का फायदा पहुँचाने की कोशिश कर रही है। मेरा आपसे और माननीय सदस्य से यह विनम्र निवेदन है कि उनका यह कहना सरासर गलत होने के साथ-साथ तथ्यों के भी विपरीत है। अगर आप हिन्दुस्तान की पार्लियामैंट द्वारा पास किये गये स्पैशल इकोनॉमिक ज़ोन एक्ट, 2005 को देखें तो उसमें यह साफ लिखा है कि यह एक्ट ओवरराईडिंग लेजीस्लेशन है और इसमें यह भी कहा गया है कि स्पैशल इकोनॉमिक ज़ोन सब प्रकार के सैस, स्टैम्प ड्यूटी टैक्सिज़ एटस्ट्रा से मुक्त होंगे अर्थात् एग्जम्ट होंगे। जब यह एक्ट हिन्दुस्तान की संसद द्वारा पास किया जा रहा था उस समय श्री चौटाला जी के पुत्र भी संसद के सदस्य थे। उसके बाद हिन्दुस्तान की संसद ने इण्डियन स्टैम्प एक्ट में भी संशोधन किया और स्पैशल इकोनॉमिक ज़ोन पर लगने वाले स्टैम्प ड्यूटी को पूरे देश में ही मुक्त कर दिया। स्पीकर सर, जब हम अपने यहां स्पैशल इकोनॉमिक ज़ोन एक्ट, 2005 लेकर आये तो उस समय मुख्यमंत्री जी को यह चिंता थी कि कोई स्पैशल इकोनॉमिक ज़ोन का लाईसैंस ले ले और वह इम्पलीमैंट न करे। ऐसा करके अगर कोई स्टैम्प एक्ट का फायदा उठा ले जाये और स्टैम्प ड्यूटी हमें न दे तो फिर बाद में उससे रिकवरी के इश्यूज़ खड़े हो जायेंगे इसलिए हरियाणा एक ऐसी स्टेट है जहां मुख्यमंत्री जी ने इस एक्ट में संशोधन करवाया और यह कहा कि कोई भी स्टैम्प ड्यूटी एग्जम्पशन का फायदा तब ले पायेगा जब उसका स्पैशल इकोनॉमिक ज़ोन गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया से इम्पलीमैंट होकर नोटिफाई हो जायेगा। इसी वजह से मौजूदा अमैंडमैंट माननीय मंत्री जी लेकर आये हैं। उसका केवल एक ही लक्ष्य है कि यदि आप एस०ई०जैड० को इम्पलीमैंट कर देते हैं तो हम आपको स्टैम्प ड्यूटी रिफंड करने के लिए बाध्य हैं परन्तु पहले आपको स्टैम्प ड्यूटी जमा करवानी पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रावधान तो भारत सरकार के कानून में भी नहीं है और ये कह रहे हैं कि एक विशेष औद्योगिक घराने को लाभ पहुँचाने के लिये लेकर आये हैं। यह सरासर गलत है, सर। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यहाँ एस०ई०जैड० की बात हो रही थी और आप कहाँ चले गये (शोर एवं व्यवधान) यह केवल एस०ई०जैड० की बात है।

Chief Minister (Shri Bhupinder Singh Hooda) : Mr. Speaker Sir, whatever Mr. Chautala is saying that should not be recorded. (Interruptions)

Mr. Speaker : Whatever Mr. Chautala has said that should be expunged ?

डॉ० रघुबीर सिंह (बेरी) : अध्यक्ष महोदय, इस बिल पर बहस चल रही है और लीडर ऑफ ओपोजीशन दो-तीन बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। चौटाला साहब इस सदन के आदरणीय सदस्य भी हैं। उन्होंने चेयर पर जिस ढंग से एसपर्सन की है यह सारी की सारी बातें सदन की कार्यवाही से निकाली जानी चाहिएं। जिस ढंग से बिना आपकी अनुमति के बोल रहे हैं इस पर भी आपको नोटिस लेना चाहिए। ये वरिष्ठ सदस्य हैं इनको अपने बर्ताव में भी इम्प्रूवमैंट लानी चाहिए क्योंकि यह सदन इस हरियाणा प्रदेश की 2 करोड़ 30 लाख जनता का मन्दिर है। इसमें मेरा आपसे निवेदन है ये शब्द सदन की कार्यवाही से निकाल दिये जायें।

श्री अध्यक्ष : ये शब्द सदन की कार्यवाही से निकाल दिये गये हैं।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि हमने उन पर शर्त लगाई थी कि पहले स्टैम्प ड्यूटी भरो और बाद में जब एस०ई०जैड० रन कर जायेगा तब स्टैम्प ड्यूटी रिफंड करेंगे। क्या वह लिखित में समझौता है या जबानी ही बात कही गई है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, ये पिछली विधान सभा में मौजूद नहीं थे। पिछली विधान सभा का जो हमारा एस०ई०जैड० का एक्ट है ये उसकी कॉपी लेकर पढ़ लें। (शोर एवं व्यवधान)

वाक आऊट

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा है कि हमारी उनसे बात हुई थी कि पहले भरा जाये। मैं सिर्फ यह पूछ रहा हूँ कि यह लिखित समझौता था या जबानी बात थी। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, किसी विशेष औद्योगिक परिवार को फायदा पहुँचाने के लिए यह बिल लाया गया है। इसलिए हम इसके विरोध में सदन से वाक आऊट करते हैं।

(इस समय इण्डियन नैशनल लोकदल के सभी सदस्य तथा शिरोमणी अकाली दल के एकमात्र सदस्य एस०ई०जैड० (अमैंडमैंट) बिल लाए जाने के विरोध में सदन से वाक-आऊट कर गये।)

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड से निकाल दिया गया।

दि हरियाणा स्पैशल इकोनॉमिक ज़ोन (अमैंडमैंट) बिल, 2010 (पुनरारम्भण)

श्री नरेश कुमार शर्मा (बादली) : अध्यक्ष महोदय, एस०ई०जैड० की बात की जा रही थी। एस०ई०जैड० तो बादली विधान सभा क्षेत्र में बना है। स्पीकर सर, अभी जो हमारे विपक्ष के साथी बोल रहे थे वे सच नहीं बोल रहे थे। मैं हकीकत बताता हूँ सर, एस०ई०जैड० में मेरी खुद की जमीन गई है। इन्होंने जिस जमीन के सैक्शन 4 के नोटिस जारी किये थे वही जमीन एस०ई०जैड० में गई है। उस समय हम इनसे मिले भी थे तब इन्होंने कहा कि तुम तो कांग्रेसी हो भाग जाओ। अध्यक्ष महोदय, इनके राज में किसी को किसान हित की बात करने का, जनहित की बात करने का मौलिक अधिकार ही नहीं था। उनका राज तो जंगल राज था और आज वे कानून व्यवस्था की बात करते हैं। मैं कानून व्यवस्था की इनकी बात बताऊंगा सर। अभी कई भाईयों ने बताया कि इनके समय में फैक्ट्रियाँ बंद कर दी थी, पारले फैक्ट्री बंद कर दी थी, एटलस बंद कर दी थी। यह तो बहुत छोटी बात है सर, ये तो इनकी सरकार को समर्थन देने वाले एम०एल०एज० की भी पिटाई कर देते थे। हम तो छिपते फिरते थे सर, कई बार मेरा भी नम्बर आया था।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, अब आप बैठिये।

श्री नरेश शर्मा : स्पीकर सर, ...

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Special Economic Zone (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Industries Minister will move that the Bill be passed.

Power Minister (Shri Mahendra Pratap Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is —

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(vii) दि हरियाणा वैल्यू ऐडिड टैक्स (अमैंडमैन्ट) बिल, 2010

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will introduce the Haryana Value Added Tax (Amendment) Bill, 2010 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : Sir, I beg to introduce the Haryana Value Added Tax (Amendment) Bill, 2010.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Value Added Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Value Added Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Value Added Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

श्री अनिल विज (अम्बाला छावनी) : स्पीकर सर, यह जो वैट पर दि हरियाणा वैल्यू एडिड टैक्स (अमैंडमैंट) बिल पेश किया जा रहा है मैं इसका विरोध करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सरकार इस बारे में दोबारा से विचार करें और इसको वापिस ले। सर, इससे महंगाई बढ़ेगी। सर, आज भी समाचार-पत्र में जो रेट ऑफ इन्फलेशन आया है वह 9.89 प्रतिशत आया है। यह तेल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की वजह से हुआ है। स्पीकर सर, जब सरचार्ज बढ़ाया जाएगा तो हर वर्ग इससे प्रभावित होगा और इससे लोगों का जीना दूभर होगा। स्पीकर सर, लोग ऑलरैडी मुश्किल में हैं। सेन गुप्ता की रिपोर्ट के मुताबिक इस देश के 70 प्रतिशत लोगों की आमदनी 20 रुपये से भी कम है। लोग कैसे रोटी खाएंगे, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और कैसे अपने बच्चों को स्कूलों में भेजेंगे। स्पीकर सर, जो सरकार होती है वह जनहित की सरकार होती है। इन्होंने अगर आमदनी बढ़ानी है तो ये दूसरे तरीकों से बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आज रैम्पैंट क्रशन है अगर ये उस पर रोक लगाएं तो उससे इनकी आमदनी बढ़ सकती है। खर्चे कम करने से इनकी आमदनी बढ़ सकती है। अगर ये और भी कुछ करना चाहते हैं तो ये आश्वासन देने पर टैक्स लगाएं और चापलूसी करने पर टैक्स लगाएं, इससे भी इनको बहुत पैसा आएगा। स्पीकर सर, मैं इस बिल का विरोध करता हूँ और सरकार से अनुरोध करता हूँ कि सरकार इस बिल को वापिस ले ले।

Mr. Speaker : Thank you very much.

श्री राम पाल माजरा (कलायत) : स्पीकर सर, इसमें कहा गया है कि 300 करोड़ रुपये अर्जित होंगे। यह बिल म्युनिसिपल कमेटी को ज्यादा स्ट्रैंन्थन करने के लिए आया है। इस अमाउन्ट को म्युनिसिपल कमेटी और गांवों में डिवाईड किया जाएगा। 60 करोड़ रुपये 7000 गांवों में दिए जाएंगे। टोटल अमाउन्ट का 20 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों को और 80 प्रतिशत शहरों को दिया जाएगा। इससे भी कुछ नहीं होगा। केवल आम आदमी पर महंगाई का असर पड़ेगा। जहां तक ये कहते हैं कि खजाना लबालब भरा हुआ है तो इस सरचार्ज को लगाने की क्या जरूरत है। स्पीकर सर, अगर इसमें म्युनिसिपल कमेटी और गांवों का शेयर निकालेंगे तो यह बहुत ही कम होगा। इसके अलावा यह वहां तक पहुँचते-पहुँचते और भी कम हो जाएगा। 100 पैसे में से 20-30 पैसे ही लगते हैं। स्पीकर सर, आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि इसको लगाने की जरूरत नहीं है, ये अपने खर्चों में कट लगाएं। इसके बाद भी मैं यह कहना चाहता हूँ कि सारी बातें हिडन हैं। जरूरी नहीं है कि यहां पर लाएं। इसके लगने के बाद भी टैक्स लगेंगे, इसके बाद भी

कोई न कोई फीस बढ़ेगी। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूँगा कि इसके लगाने से और महंगाई बढ़ेगी और मैं इसका विरोध करता हूँ।

वाक-आऊट

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार इस बिल को वापिस नहीं लेती है तो इसके विरोध में हम सदन से वाक-आऊट करते हैं।

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार इस बिल को वापिस नहीं लेती है तो इसके विरोध में हम भी सदन से वाक-आऊट करते हैं।

(इस समय इण्डियन नैशनल लोकदल, भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणी अकाली दल के सदन में उपस्थित सदस्य उपरोक्त बिल को वापस न लिए जाने के विरोध में सदन से वाक-आऊट कर गये।)

दि हरियाणा वैल्यु एडिड टैक्स (अमैंडमैंट) बिल, 2010 (पुनरारम्भण)

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is —

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(viii) दि हरियाणा दोहलीदार, बुटीमार, भौंडेदार एण्ड मुकररीदार (वैस्टिंग ऑफ प्रोपराइटरी राईट्स) बिल, 2010

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana Dohlidar, Butimar Bhondedar and Muqararidar (Vesting of Proprietary Rights) Bill, 2010 and will also move the motion for its consideration.

Parliamentary Affairs Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to introduce the Haryana Dohlidar, Butimar, Bhondedar and Muqararidar (Vesting of Proprietary Rights) Bill, 2010.

Sir, I also beg to move—

That Haryana Dohlidar, Butimar, Bhondedar and Muqararidar (Vesting of Proprietary Rights) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That Haryana Dohlidar, Butimar Bhondedar and Muqararidar (Vesting of Proprietary Rights) Bill be taken into consideration at once.

Shri Vinod Sharma (Ambala City) : Speaker Sir, I must compliment the Government to begin with to bring this Bill after a long period which was pending for umpteen years. And I must compliment the Chief Minister personally for he has taken personal interest to get this Bill drafted and to bring it in the Assembly. Speaker Sir, the statement of objects and reasons is there in the Bill itself. Why this Bill has been brought to this Assembly ? The object and the purpose of the Bill to bring the Assembly is to vest proprietary rights in Dohlidars, Butimars, Bhondedars and Muqararidar or any other similar category of persons to be notified by the State Government at a later date. Speaker Sir, I would like to request that there are

other categories by name, those who have rendered the services to the society in the past, other than these four categories mentioned here. Like Mafidars, they have not been included into this Bill. They are also falling in the same category. I will request that the name 'Mafidars' shall also be included into it. And all other categories at a later date as it has been mentioned in the Bill, those who have rendered the services to the society will also be included. Speaker Sir, I would only bring to the notice of this august House that these are the people who were given lands in lieu of their selfless service to the society. And these are the people who have been tailing this land for over hundered years. Some of the persons have constructed their houses on these lands. Some of the families are living there for more than 150 years and some of the families are living over these lands for more than 200 years also. But, ironically these people were not given the rights either to sell or to mortgage these properties or the lands. Though they were the tillers of the land and though these lands and properties were given to them for perpetuity, not to be taken back. But there no money was paid to the persons who have gifted these lands to these categories of people by thus they were not entitled to make use of these lands for their personal benefits or for getting any loan throughout this period. By enactment of this Bill, the shackles from their hands will be taken back. They will be free to use this land, they will be free to have this land and they will be called owners of this land after 100 years, 150 years or 200 years. I compliment the Government and the Chief Minister because these are the people who are poor. They are the people who have very small land holding and they are the people who have earnestly served the society selflessly for centuries together and they are not the rich people and they are from different communities. Speaker Sir, it is not the four categories which have been mentioned here. They are from different walks of life. Like Bhondedars, they are Balmiki, Harijan, Nai, Dhobi, Kumhar, Faqir, Sakka etc. these are the people who belong to these categories. And even Dohlidars are Brahman, Bairagi, Swami, Sadh, Jogi, Bhat, Gosain, Jangar. These are the people who belong to these categories. Mafidars, as I have said earlier are those whose rent or lagan was not to be paid as the lands were given to them and they were not supposed to pay any money as lagan to the Zamindar or to the people who have gifted those lands. And Butidar are the people, when in districts like Rewari, Narnaul, Mahendergarh, these people were the people who cleared the lands and cut the trees and those lands were made cultiviable and these people were given some part of land at that time and today they will also be benefited. In the end, I want to say that this Bill be passed. Speaker Sir, I want to give compliment to the entire House that these people have been suffering for centuries and today is the time when they will be calling themselves as the owners of their own land. Thank you very much, Sir.

Pandit Kuldeep Sharma (Ganaur) : Hon'ble Speaker Sir, I thank the Government particularly, the Chief Minister of Haryana for coming up with this Bill. This is historic agrarian reform which the Government seeks to introduce in this august House. As pointed out by my learned friend and Hon'ble Member of this august House Shri Vinod Kumar Sharma that for long these sufferings of the people are crying for utterance. I am thankful, finally, the Government fulfil the demand of

[Pandit Kuldeep Sharma]
these people which is centuries' old demand. In fact, the land owners gave this land to the Dohlidars for their benefit so that they can perform puja etc. but they could never take benefit of this land because they simply had possessed the right. They were never owner of the land. All the possessory rights were also transferable from one generation to another. But truly, so, as pointed out by Shri Vinod Kumar Sharma they could not raise loan on this land nor could they alienate. So, Speaker Sir, this is an enabling enactment and it will largely benefit not only Brahmans but also other categories of people from different walks of life as well as people from communities which are downtrodden. Therefore, I seek to support that this Bill should be passed in this Assembly. I again thank the Hon'ble Chief Minister for taking this Bill up in the House. Hon'ble Speaker Sir, yesterday one Hon'ble Member of the House Shri Ajay Singh Chautala ji talked of raising the standard of debate in the House. I want to hear him that legislation is a very serious business and we come here to make laws for the future. He was disappointed, I am disappointed too. But I am reminded of the famous incident from History teaches you lot and you must take lessons from it. When John Profumo told lie in the House regarding his alleged relation with Christine Keeler. The then Prime Minister defended him in the House. Six months later in his Kensington flat he was seen in the company of Christine Keeler who was suspected to be Russian spy. The next day Paparazzi took them in the paper and they were all flashed on the front pages of British press. Macmillan dismissed Profumo, the most illustrious Defence Minister of his time, saying that we can have a Defence Minister who lives outside his marriage but we cannot have a Defence Minister who lies to the House. It is a serious matter. Anybody speaking the lie in the House should be taken it very serious note of and it should not simply be laughed away. Some of my friends on the opposition side that little tired today because they gone out and come in so many times. I take pity on them. One of them was whispering a couplet in my ears." "कि शायद मुझे निकालकर पछता रहे हैं आप, महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूँ मैं" जो बार-बार यह हो रहा है it is wasting the time of the House. Serious legislative business is taking place, they should participate in the debate and give their suggestions. Thank you very much.

Mr. Speaker : Kiran ji.

Smt. Kiran Choudhary : No Sir, He has already spoken what I want to say (Interruptions & Noises)

P.W.D. (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Speaker Sir, Shri Vinod Sharma Ji and Kuldeep Sharma Ji have raised some issues. सर, यह जो मौजूदा कानून है। मेरी पीढ़ी के लोगों की जितनी उम्र है आपका और यहां और बुजुर्ग बैठे हैं उनका शायद तजुर्बा इन से ज्यादा है। ये आजादी से पहले और आजादी के बाद कई ऐसी कैटेगरीज थी जिनको हम जजमानी की प्रथा का हिस्सा भी अगर खड़ी बोली में कहें तो शायद वह सही है। ये जो दोहलीदार हैं ये वही लोग हैं। इसी प्रकार से दूसरी कैटेगरीज बुटीमार, भौंडेदार और मुकररीदार। इनको सैकुलर सर्विस के लिए गाँव में

समय-समय पर जमीनें दी गई। जहां तक दोहलीदार का सवाल है, ये गाँवों के अन्दर और आसपास के क्षेत्र में रिलीजिएस सर्विसिज देते थे। उसके बदले में इन्हें ये जमीनें समय-समय पर दी गई ताकि ये वहां पर गाँवों में सेवा कर सकें। इन्होंने इस लैंड को डिवैल्प भी किया और इनमें से अधिकतर लोग जैसे आदरणीय शर्मा जी बता रहे थे कि अनुसूचित जाति के लोग हैं, पिछड़े वर्गों के लोग हैं और गरीब समाज के लोग हैं। इनके पास बहुत थोड़ी-थोड़ी जमीन हैं जिस पर ये 50-50 वर्षों से काश्त करते आ रहे हैं। न तो ये लोग जमीन पर लोन ले सकते हैं और न ही जमीन की खरीद बेच कर सकते हैं और न ही इस पर इनका मालिकाना हक था। अध्यक्ष महोदय, जब आप इस माननीय सदन के सदस्य थे और स्पीकर नहीं थे तब आपने भी यह बात उठाई थी और यह मांग वर्षों से पैंडिंग थी इसलिए आज हम ये कानून लेकर आए हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे आपकी अनुमति से सदन को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 37876 दोहलीदार 14187 एकड़ 5 कैनाल और 15 मरला जमीन के मालिक बन जाएंगे। इसी प्रकार से 3838 भोंडेदार 5101 एकड़ 5 कैनाल 8 मरला जमीन के मालिक बन जाएंगे। इसका मतलब इस कानून से 19279 एकड़ 3 कैनाल 3 मरला जमीन के गरीब लोग मालिक बन जाएंगे। इसमें 41714 परिवार शामिल होंगे और यह बहुत बड़ा नम्बर है जिनको इस कानून से लाभ होगा। ये सब लोग रोज की रोटी रोज कमाकर खाने वाले लोग हैं। चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली सरकार जैसा कि शर्मा जी ने भी कहा, कुलदीप जी ने भी कहा है कि एक क्रांतिकारी बिल लेकर आई है। आदरणीय विनोद शर्मा जी ने एक कैटेगरी के बारे में कहा है तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उनको बताना चाहूँगा कि मैंने मुख्यमंत्री महोदय से फौरन मंत्रणा कर ली है। हालांकि ऐक्ट की क्लाज़ 1 की सब क्लाज 4 में लिखा है--

> "This Act shall be applicable to Dohlidar, Butimar, Bhondedar, Muqararidar or any other similar class or category of persons which the State Government may notify in the Official Gazette."

Sir, however, the Hon'ble Chief Minister has told me for the purpose of clarification only to use the same phraseology i.e. or any other similar clause or category of person which the State Government may notify in the Official Gazette in 3(a) at the end of Muqararidar so that tomorrow no doubts can be raised. ताकि कोई और कैटेगरी जैसे माफीदार की आपने चर्चा की, मैं आश्वासन देता हूँ कि हम शामिल कर लेंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरी दरखास्त है कि 3 ए में सैकेंड लास्ट लाइन में जहां वर्ड मुकरीदर खत्म हो जाता है वहां the words "or any other similar clause or category of persons which the State Government may notify in the official Gazette or has notified in the official Gazette", ये वर्ड्स आ जाएंगे तो फिर कोई डाउट नहीं रह जाएगा। जैसा कि आपने चर्चा की वह कैटेगरी भी एड होगी तो Government can notify them without bringing subsequent amendments to the Act, Sir. With this my request is that the Bill be passed with this amendment.

Shri Bharat Bhushan Batra (Rohtak) : Sir, I would like to know where these terms have been defined. Whether these terms have been defined in the Punjab Land Revenue Act, if not defined then definition should come in this Act. In

[Shri Bharat Bhushan Batra]
this Act also, these terms should be defined that who is Dohlidar, who is Butimar, who is Bhondedar or Muqararidar or it should be mentioned that the terms which are mentioned in the Punjab Land Revenue Act that should be applicable.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को क्लैरीफिकेशन दे दूं। ये सैक्शन 2 की सब-क्लाज (डी) भी देख लें। यह लैंड रिवैन्यू एक्ट में डिफाईंड है और लैंड रिकार्ड्स में बाय नेम रिकार्डिड है "Dohlidar, Butimar, Bhondedar and Muqararidar" means, person who has been recorded as such in the revenue record and includes his predecessor and successor in interest.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Dohlidar, Butimar, Bhondedar and Muqararidar (Vesting of Proprietary Rights) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Sub-Clause (2) of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-Clause (2) of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause (3) of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-Clause (3) of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause (4) of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-Clause (4) of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause (1) of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-Clause (1) of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received the notice of amendment in Clause 3(a) from the Parliamentary Affairs Minister. Now, the Parliamentary Affairs Minister will move his amendment.

P.W.D. (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

> That in third last line of Clause 3(a), after the word "Muqararidar", the words "or any other similar class or category of persons, which the State Government has notified in the Official Gazette", be added.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That in third last line of Clause 3(a), after the word "Muqararidar", the words "or any other similar class or category of persons, which the State Government has notified in the Official Gazette", be added.

Mr. Speaker : Question is—

> That in third last line of Clause 3(a), after the word "Muqararidar", the words "or any other similar class or category of persons, which the State Government has notified in the Official Gazette", be added.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

> That Clause 3, as amended, stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 4 to 13

Mr. Speaker : Question is—

> That Clauses 4 to13 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

> That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

> That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Minister will move that the Bill, as amended, be passed.

P.W.D. (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That the Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker : Question is —

That the Bill, as amended, be passed.

The motion was carried.

(ix) दि हरियाणा प्राईवेट यूनिवर्सिटीज, (अमैंडमैंट) बिल, 2010

Mr. Speaker : Now, the Education Minister will introduce the Haryana Private Universities (Amendment) Bill, 2010 and will also move the motion for its consideration.

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail) : Sir, I beg to introduce the Haryana Private Universities (Amendment) Bill, 2010.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Private Universities (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Private Universities (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री शेर सिंह बड़शामी (लाडवा) : स्पीकर सर, हरियाणा प्राईवेट यूनीवर्सिटीज़ का जो 2006 का एक्ट है उसमें जो प्रिंसीपल एक्ट के सैक्शन-9 का अमैंडमैंट लाया गया है और उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है उस एक्ट में दिया गया था कि जो यूनिवर्सिटी स्थापित करना चाहता है उसके पास जमीन का पोजैशन होना चाहिए, मालीकाना हक होना चाहिए लेकिन इसमें जो एक्सप्लेनेशन दी है उसमें यह भी साथ जोड़ दिया है कि ऑनरशिप की बजाय यदि उसके पास 30 साल की लीज की जमीन है तो वह भी एप्लीकेशन दे सकता है। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है और यदि यूनिवर्सिटीज किराये की जमीन पर खुलने लगे तो शिक्षा का स्तर क्या रह जायेगा यह सोचने वाली बात है? अध्यक्ष

महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश है कि कम से कम जो यूनिवर्सिटी खोलने की दरखास्त दे वह अपनी जमीन का मालिक तो निश्चित रूप से होना चाहिए, न कि किराये की जमीन पर ही दरखास्त देकर यूनिवर्सिटी खोल ले।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : ऑनरेबल स्पीकर सर, हमारे माननीय सदस्य ने जो चिंता दिखाई है वह बिल्कुल भी वाजिब नहीं है क्योंकि इस समय हरियाणा सरकार पूरी क्वालिटी से हायर एजूकेशन देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबध है। यदि प्राईवेट यूनिवर्सिटीज हरियाणा में आकर अच्छे इन्स्टीच्यूट्स लगाना चाह रही हैं तो उसके लिए हम उनका स्वागत करते हैं। इस तरह की जो भी यूनिवर्सिटीज आयेंगी वे हमारी कंडीशन लिस्ट एक्ट के अंदर हैं उनको पूरा करेंगी और उसके साथ-साथ 25 प्रतिशत रिजर्वेशन हरियाणा के स्टूडैंट्स को देंगे and out of that 5% students will be granted full fee concession and 10% will be granted 50% fee concession and the remaining 10% will be given 25% fee concession, Sir, setting up of the Universities will further boost up the education and economic activities in the State.

श्री शेर सिंह बड़शामी : अध्यक्ष महोदय, जिस संस्था के पास अपनी जमीन ही नहीं है, वह संस्था क्या पनपेगी?

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Private Universities (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 4 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker : Question is—

That Schedule be the Schedule out of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Education Minister will move that the Bill be passed.

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is —

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(x) लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटेनरी एंड एनीमल साईंसिज़ हिसार बिल, 2010

Mr. Speaker : Now, the Animal Husbandry Minister will introduce the Lala Lajpat Rai University of Veterinary and Animal Sciences Hisar Bill, 2010 and will also move the motion for its consideration.

Agriculture Minister (Sardar Parmvir Singh) : Sir, I beg to introduce the Lala Lajpat Rai University of Veterinary and Animal Sciences Hisar Bill, 2010.

Sir, I also beg to move—

That the Lala Lajpat Rai University of Veterinary and Animal Sciences Hisar Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Lala Lajpat Rai University of Veterinary and Animal Sciences Hisar Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Lala Lajpat Rai University of Veterinary and Animal Sciences Hisar Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Sub-Clause (2) of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-Clause (2) of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 2 to 56

Mr. Speaker : Question is—

That Clauses 2 to 56 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause (1) of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-Clause (1) of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Agriculture Minister will move that the Bill be passed.

Agriculture Minister (Sardar Paramvir Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is —

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(xi) दि हरियाणा इवाक्यू प्रोपर्टीज़ (मैनेजमैंट एंड डिस्पोजल) अमैंडमैंट बिल, 2010

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana Evacuee Properties (Management and Disposal) Amendment Bill, 2010 and will also move the motion for its consideration.

P.W.D. (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to introduce the Haryana Evacuee Properties (Management and Disposal) Amendment Bill, 2010.

I also beg to move—

That the Haryana Evacuee Properties (Management and Disposal) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Evacuee Properties (Management and Disposal) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Evacuee Properties (Management and Disposal) Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Sub-Clause (2) of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-Clause (2) of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 4 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 5

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 5 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 6

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : स्पीकर सर, the Haryana Evacuee Properties (Management and Disposal) Amendment Bill, 2010 जो लाया गया है । इसमें एक ग्रामैटिकल एरर है, इस को दूर करने के लिए मैं एक अमैंडमैंट लाना चाहता हूँ ।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received the notice of amendment in Clause 6 from the Parliamentary Affairs Minister. Now, the Parliamentary Affairs Minister will move his amendment.

PWD (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That in proviso to Clause 6, after the words, "Provided that", the word "if" be added.

Mr. Speaker : Motion moved—

That in proviso to Clause 6, after the words, "Provided that", the word "if" be added.

Mr. Speaker : Question is—

That in proviso to Clause 6, after the words, "Provided that", the word "if" be added.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 6, as amended, stands part of the Bill.

The motion was carried.

Sub -clause (1) of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub -clause (1) of Clause1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill, as amended, be passed.

P.W.D. (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That the Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker : Question is —

That the Bill, as amended, be passed.

The motion was carried.

13.00 बजे

सरकारी संकल्प

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now, the Health Minister will move an official resolution.

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail) : Sir, I beg to move—

"WHEREAS the Parliament enacted the Transplantation of Human Organs Act, 1994 (Central Act No. 42 of 1994), to provide for the regulation of removal, storage and transplantation of human organs

for therapeutic purposes and for the prevention of commercial dealings in human organs and for matters connected therewith or incidental thereto;

AND WHEREAS certain shortcomings in the operation of the law have been noticed which require amendments in the Transplantation of Human Organs Act, 1994 (Central Act No. 42 of 1994);

AND WHEREAS the subject matter of law is relatable to entry 6 of the State List in the Seventh Schedule to the Constitution of India and the Parliament has no power to make laws for the States with respect to the aforesaid matters except as provided in Articles 249 and 250 of the Constitution of India, to facilitate organ transplantation in genuine case and to provide for deterrent punishment for illegal or commercial transaction in human organs;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 252 of the Constitution of India, the House of the Legislature of the State of Haryana hereby resolves that a Bill to amend the Transplantation of Human Organs Act, 1994 (Central Act No. 42 of 1994) should be introduced in the Parliament to regulate the law in the State of Haryana."

Mr. Speaker : Motion moved—

"WHEREAS the Parliament enacted the Transplantation of Human Organs Act, 1994 (Central Act No. 42 of 1994), to provide for the regulation of removal, storage and transplantation of human organs for therapeutic purposes and for the prevention of commercial dealings in human organs and for matters connected therewith or incidental thereto;

AND WHEREAS certain shortcomings in the operation of the law have been noticed which require amendments in the Transplantation of Human Organs Act, 1994 (Central Act No. 42 of 1994);

AND WHEREAS the subject matter of law is relatable to entry 6 of the State List in the Seventh Schedule to the Constitution of India and the Parliament has no power to make laws for the States with respect to the aforesaid matters except as provided in Articles 249 and 250 of the Constitution of India, to facilitate organ transplantation in genuine case and to provide for deterrent punishment for illegal or commercial transaction in human organs;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 252 of the Constitution of India, the House of the Legislature of the State of Haryana hereby resolves that a Bill to amend the Transplantation of Human Organs Act, 1994 (Central Act No. 42 of 1994) should be introduced in the Parliament to regulate the law in the State of Haryana."

Mr. Speaker : Question is—

"WHEREAS the Parliament enacted the Transplantation of Human Organs Act, 1994 (Central Act No. 42 of 1994), to provide for the regulation of removal, storage and transplantation of human organs for therapeutic purposes and for the prevention of commercial dealings in human organs and for matters connected therewith or incidental thereto;

AND WHEREAS certain shortcomings in the operation of the law have been noticed which require amendments in the Transplantation of Human Organs Act, 1994 (Central Act No. 42 of 1994);

AND WHEREAS the subject matter of law is relatable to entry 6 of the State List in the Seventh Schedule to the Constitution of India and the Parliament has no power to make laws for the States with respect to the aforesaid matters except as provided in Articles 249 and 250 of the Constitution of India, to facilitate organ transplantation in genuine case and to provide for deterrent punishment for illegal or commercial transaction in human organs;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 252 of the Constitution of India, the House of the Legislature of the State of Haryana hereby resolves that a Bill to amend the Transplantation of Human Organs Act, 1994 (Central Act No. 42 of 1994) should be introduced in the Parliament to regulate the law in the State of Haryana."

The motion was carried.

Mr. Speaker : Hon'ble Members, Now, the House stands adjourned sine-die.

*13.04 Hrs. (The Sabha then *adjourned sine-die.)

Haryana Vidhan Sabha Secretariat LIBRARY Chandigarh

47228-H.V.S.—H.G.P., Chd.